

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांक एफ 3(1)(2)प्रथम/निर्वा/2021/ 1971

जयपुर, दिनांक 6/3/24

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), राजस्थान।
समस्त रिटर्निंग अधिकारी,
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान।

विषय : Filing of nominations by candidates at an election to the Legislative Assembly
and to the House of the People-reg.

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 3/ER/2023/SDR/Vol.V दिनांक
27 फरवरी, 2024

संदर्भ :	Sl. No.	Letter No.	Dated
	1.	3/ER/94/JS-II	16.08.1994
	2.	576/3/96-JUD-II	20.09.1996
	3.	576/3/2009/SDR	10.02.2009
	4.	576/3/2011/SDR	22.03.2011
	5.	576/3/2013/SDR	21.01.2013
	6.	576/3/2013/SDR	31.10.2013
	7.	576/3/2013/SDR	30.09.2013
	8.	576/3/2013/SDR/236	13.11.2013
	9.	3/ER/2020/SDR/VOL.III	01.10.2020
	10.	576/3/2007/JS-II	08.08.2007
	11.	3/ER/2011/SDR	20.07.2012
			&
			20.10.2013
	12.	3/ER/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/2016	18.08.2016
	13.	4/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/Vol I/2016	29.12.2016
	14.	576/3/2013/SDR/VOL-I	07.02.2019
	15.	576/3/2013/SDR/VOL-I	31.10.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत निर्वाचन आयोग ने प्रासंगिक पत्र दिनांक 27.02.2024 द्वारा अवगत कराया है कि लोक सभा के आम चुनाव के मामले में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानसभा के आम चुनाव के लिए राज्यपाल द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी होने पर चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है। सभी उप-चुनावों के मामले में, ऐसी अधिसूचनाएँ चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती हैं, जैसा भी मामला हो। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा चुनाव अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा अनुशंसित तारीखों पर जारी की जाती है। इसके साथ ही, चुनाव आयोग आधिकारिक राजपत्र (उसी तिथि को जारी) में अधिसूचना द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 (इसके बाद 'अधिनियम') के तहत चुनाव की समय-सारणी तय करता है।

५/२

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को किसी सीट को भरने के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया जा सकता है यदि वह योग्य है और प्रावधानों के तहत उस सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए अयोग्य नहीं है, संविधान और अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के तहत, जैसा भी मामला हो। संसद और राज्य विधानमंडल में एक सीट भरने के लिए योग्यता और अयोग्यता से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 84, 102, 173 और 191 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 3 से 10 ए के तहत दिए गए हैं।
3. आगामी लोकसभा आम चुनाव, 2024 को ध्यान में रखते हुए आगामी सभी चुनावों में विषय पर स्पष्टता के लिए, ऊपर सूचीबद्ध सभी संदर्भित कानूनी प्रावधानों और समय-समय पर जारी निर्देशों को समेकित करते हुए एक व्यापक निर्देश भविष्य के सभी चुनावों के दौरान अनुपालन के लिए जारी किया जा रहा है।

4. Issue of Public Notice:

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के तहत चुनाव का कार्यक्रम तय करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने पर, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा धारा 31 के तहत भावी चुनाव की एक सार्वजनिक सूचना जारी करना आवश्यक है। यह सार्वजनिक सूचना चुनाव संचालन नियम, 1961 के साथ संलग्न प्रपत्र 1 में दी जाएगी। इस सार्वजनिक सूचना के द्वारा, रिटर्निंग अधिकारी अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन आमंत्रित करता है और वह स्थान निर्दिष्ट करता है जहां नामांकन पत्र परिदत्त किये जाने हैं। उक्त सार्वजनिक सूचना में तारीख, समय और जांच का स्थान, वापसी की तारीख और मतदान के घंटे की तारीख अंग्रेजी के साथ-साथ राज्य में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषाओं में भी जारी की जाएगी। उक्त सार्वजनिक सूचना को रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर और ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां आदि के कार्यालयों को शामिल करते हुये, ऐसे अन्य स्थानों पर प्रकाशित किया जाना चाहिए, जहां वह व्यापक प्रचार के लिए रिटर्निंग अधिकारी आवश्यक समझें।

5. Form of nomination papers:

- 5.1 निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 4 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक नामांकन पत्र निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के साथ संलग्न प्रपत्रों में से एक में होगा, जो उपयुक्त हो। लोक सभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन फॉर्म 2A में किया जाएगा, जबकि राज्य विधान सभा के चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए फॉर्म 2B निर्धारित है। Sikkimese of Bhutia- Lepcha के मूल निवासियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से सिक्किम की विधान सभा के चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म 2F में किया जाना है। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से सिक्किम विधान सभा के चुनाव के लिए प्रासंगिक नामांकन फॉर्म 2G है और संघ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव के लिए फॉर्म 2H है जो निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के साथ जुड़ा हुआ है।
- 5.2 नामांकन पत्रों की प्रतियां ECI/CEO's की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं या रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से बहुत मामूली कीमत पर प्राप्त की जा सकती हैं। यदि आधिकारिक तौर पर मुद्रित फॉर्म उपलब्ध नहीं हैं या प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, तो उम्मीदवार downloaded/privately printed/type-written/ cyclostyled फॉर्म का उपयोग कर सकता है; लेकिन उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया फॉर्म, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में संलग्न उचित नवीनतम फॉर्म से बिल्कुल मेल खाता है। एक उम्मीदवार को नामांकन फॉर्म में की जाने वाली प्रत्येक प्रविष्टि के बारे में विशेष सावधानी रखनी चाहिए।

de v

6. Prescribed dated and time for making nomination:

- 6.1 अधिनियम की धारा 30 के अनुसार, नामांकन करने की अंतिम तिथि अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के बाद सातवें दिन है या यदि वह तारीख सार्वजनिक अवकाश है, तो उससे अगला दिन है, जो सार्वजनिक अवकाश नहीं है। इस प्रकार नामांकन करने के लिए आठ दिन (अधिसूचना जारी होने के दिन सहित) उपलब्ध हैं। हालाँकि, बीच के सार्वजनिक अवकाशों पर नामांकन दाखिल नहीं किया जा सकता है।
- 6.2 अधिनियम की धारा 33 के अनुसार, नामांकन पत्र पूर्वाह्न ग्यारह बजे से अपराह्न तीन बजे के बीच किसी भी समय दाखिल किया जा सकता है। नामांकन के किसी भी दिन, पूर्वाह्न ग्यारह बजे से पहले तथा अपराह्न तीन बजे के बाद नामांकन पत्र प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए।
- 6.3 नामांकन पत्र अधिसूचना की तारीख से शुरू होकर नामांकन करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि (दोनों तिथियाँ शामिल) तक दाखिल किए जा सकते हैं, जो सार्वजनिक अवकाश नहीं है (जैसा कि पहले ही बताया गया है)।
- 6.4 नामांकन करने की अंतिम तिथि को अपराह्न 2.30 बजे के बाद RO/ARO के कक्ष के बाहर बार-बार घोषणा करायी जाये कि नामांकन की अंतिम तिथि को अपराह्न 3 बजे के बाद नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। RO/ARO द्वारा हस्ताक्षरित पर्चियाँ तैयार की जाएंगी और कक्ष में प्रवेश करने वाले अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश के क्रम में अपराह्न तीन बजे तक वितरित की जाएंगी।
- 6.5 यदि एक से अधिक उम्मीदवार या उनके प्रस्तावक दोपहर 3.00 बजे रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में आते हैं, या उससे ठीक पहले अपना नामांकन प्रस्तुत करते हैं तो दोपहर 3.00 बजे तक ऐसे सभी नामांकनों का निपटान करना रिटर्निंग अधिकारी के लिए संभव नहीं होगा। ऐसे मामले में, रिटर्निंग अधिकारी उन सभी इच्छुक उम्मीदवारों के नामांकन प्राप्त करेंगे जो दोपहर 3.00 बजे रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होंगे। नामांकन दाखिल करने और स्वीकार करने के लिए इन नामांकन पत्रों को कानून के तहत निर्धारित समय के भीतर प्राप्त होना स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, रिटर्निंग अधिकारी ठीक अपराह्न 3.00 बजे अपने कार्यालय कक्ष में प्रवेश बंद कर सकता है, और केवल ऐसे उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों का निपटारा करें, जो अपराह्न 3:00 बजे तक कक्ष में प्रवेश कर चुके हों।
- 6.6 किसी भी इच्छुक उम्मीदवार के नामांकन पत्र या कोई सहायक दस्तावेज देने के उद्देश्य से अपराह्न 3.00 बजे के बाद किसी को भी रिटर्निंग अधिकारी के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

7. Meaning of public holiday:

जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (h) में परिभाषित किया गया है, "सार्वजनिक अवकाश" का अर्थ कोई भी दिन है जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए छुट्टी है। प्रत्येक रविवार, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सार्वजनिक अवकाश होते हैं। सार्वजनिक अवकाश के दिन कोई नामांकन दाखिल या प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

8. Separate bank account to be opened by each candidate for election expenditure:

- 8.1 चुनाव व्यय की निगरानी की सुविधा के लिए, प्रत्येक उम्मीदवार को विशेष रूप से चुनाव व्यय के उद्देश्य से एक अलग बैंक खाता खोलना आवश्यक है। यह खाता उस तारीख से

५२

कम से कम एक दिन पहले खोला जाएगा जिस दिन उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगा। यह खाता संख्या उम्मीदवार को अपना नामांकन दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा समस्त चुनाव व्यय इसी बैंक खाते से किया जायेगा। चुनाव प्रचार पर खर्च किया जाने वाला सारा पैसा इस बैंक खाते में जमा किया जाएगा, चाहे वह उम्मीदवार के स्वयं के फंड सहित किसी भी स्रोत से प्राप्त हो।

8.2 चुनाव व्यय के प्रयोजन के लिए बैंक खाता या तो उम्मीदवार के नाम पर या उसके चुनाव एजेंट के साथ संयुक्त नाम पर खोला जा सकता है। बैंक खाता उम्मीदवार के परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं खोला जाना चाहिए, यदि वह उम्मीदवार का चुनाव एजेंट नहीं है। बैंक खाता राज्य में कहीं भी सहकारी बैंकों या डाकघर सहित किसी भी बैंक में खोला जा सकता है। इस प्रकार खोला गया बैंक खाता नया होगा। इस प्रयोजन के लिए उम्मीदवार के मौजूदा बैंक खाते का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

8.3 नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी ऐसे प्रत्येक उम्मीदवार को नोटिस जारी करेगा जिसने बैंक खाता नहीं खोला है।

9. Candidate's name in the nomination paper:

सामान्य स्थिति में, नामांकन पत्र में उम्मीदवार का नाम वैसा ही अंकित होगा जैसा वह मतदाता सूची में दर्ज है। हालाँकि, यदि वह मानता है कि उसका नाम गलत तरीके से लिखा गया है या अन्यथा गलत तरीके से मतदाता सूची में दिखाया गया है, तो उसे नामांकन पत्र में अपना सही नाम देना चाहिए। निर्वाचन अधिकारी मतदाता सूची में ऐसी गलती को नजरअंदाज कर देंगे। ऐसे मामले में उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र के साथ मतदाता सूची में उनके नाम की गलती के बारे में उपरोक्त तथ्य बताते हुए रिटर्निंग ऑफिसर को एक प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत करना उचित होगा।

10. Proposers for nomination:

10.1 प्रस्तावक को उस निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए जहां से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 के तहत, लोक सभा या राज्य विधान सभा के चुनाव में एक उम्मीदवार के नामांकन के लिए प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी:

10.1.1 निर्वाचन क्षेत्र का एक (1) निर्वाचक, प्रस्तावक के रूप में, यदि उम्मीदवार या तो किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी द्वारा या राज्य या राज्यों में किसी मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी द्वारा खड़ा किया गया हो, जहां इसे राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

10.1.2 निर्वाचन क्षेत्र के दस (10) निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में, यदि उम्मीदवार किसी पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है या यदि वह एक स्वतंत्र उम्मीदवार है, तो।

10.2 यदि एक राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राज्य पार्टी किसी अन्य राज्य में चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करती है, जिसमें उसे राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ऐसे अन्य राज्य में उस पार्टी द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के नामांकन पर निर्वाचन क्षेत्र के दस (10) निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

11. Number of nomination papers:

11.1 अधिनियम की धारा 33 (6) निर्दिष्ट करती है कि किसी भी उम्मीदवार को एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक नामांकन पत्रों द्वारा नामांकित किया जा सकता है, बशर्ते कि चार से

अधिक नामांकन पत्र एक ही निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे या चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए, रिटर्निंग ऑफिसर या निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक ही उम्मीदवार नामांकन पत्रों के 4 से अधिक सेट दाखिल न करें।

- 11.2 लोक सभा या राज्य विधान सभा के आम चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को दो से अधिक संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकित नहीं किया जा सकता है। यही प्रतिबंध किसी भी सदन के लिए एक साथ होने वाले उप-चुनावों के संबंध में भी लागू होता है, और चुनाव आयोग द्वारा एक साथ बुलाए जाने पर एक ही सदन के लिए दो से अधिक उप-चुनाव नहीं लड़े जा सकते हैं।
- 11.3 यदि कोई उम्मीदवार इस प्रावधान का उल्लंघन करता है और एक ही श्रेणी के दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करता है, तो तीसरे, चौथे और ऐसे सभी बाद के निर्वाचन क्षेत्रों में उसके नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख और समय के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के आधार पर खारिज कर दिए जाने चाहिए। हालाँकि, रिटर्निंग अधिकारियों को इस आधार पर उसके किसी भी नामांकन पत्र को खारिज करने से पहले इस तथ्य के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि उम्मीदवार ने इस बिंदु पर कानून का उल्लंघन किया है।

12. Presentation of nomination papers:

- 12.1 नामांकन पत्र की प्रस्तुति और वैध नामांकन के लिए आवश्यकताएं अधिनियम की धारा 33 द्वारा शासित होती हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि नामांकन पत्र किसी उम्मीदवार द्वारा या उसके प्रस्तावकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, किसी अन्य द्वारा नहीं।
- 12.2 नामांकन पत्र निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर या ऐसे सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपे जाएंगे, जिन्हें सार्वजनिक सूचना में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा फॉर्म 1 में नामित किया गया है।
- 12.3 नामांकन पत्र उपरोक्त प्रपत्र 1 में निर्दिष्ट स्थान पर वितरित किया जाएगा, अन्य किसी स्थान पर नहीं। उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक नामांकन पत्र डाक से नहीं भेज सकता है। नामांकन पत्र निर्दिष्ट अधिकारी के आवास पर या फॉर्म 1 में नोटिस में उल्लिखित स्थान के बाहर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यदि इसे किसी अन्य स्थान पर प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

13. Security Deposit by the candidate:

- 13.1 अधिनियम की धारा 34 के अनुसार, एक उम्मीदवार को किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव के लिए विधिवत नामांकित नहीं माना जाएगा जब तक कि वह एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव के मामले में 25,000 रुपये एवं एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव के मामले में 10,000 रुपये की राशि जमा नहीं करता या जमा नहीं कराता।
- 13.2 इसमें आगे प्रावधान है कि उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, उसे संबंधित चुनाव में आधी राशि जमा करनी होगी, भले ही वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र या आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हो।

५२

- 13.3 धारा 33(2) में प्रावधान है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में जहां कोई सीट आरक्षित है, किसी उम्मीदवार को उस सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके नामांकन पत्र में उसकी विशेष जाति या जनजाति को निर्दिष्ट करने वाली घोषणा शामिल न हो कि वह क्षेत्र जिसके संबंध में वह जाति या जनजाति एक अनुसूचित जाति है या, जैसा भी मामला हो, राज्य की एक अनुसूचित जनजाति है, का एक सदस्य है।
- 13.4 सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो जमानत राशि में रियायत प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिये नामांकन पत्र में यह घोषणा पत्र भरना अनिवार्य नहीं है कि वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। हालाँकि, रियायती राशि जमा करने के पात्र उम्मीदवार को रिटर्निंग ऑफिसर को इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के माध्यम से संतुष्ट करना होगा कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।
- 13.5 जहां एक उम्मीदवार को एक ही निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए एक से अधिक नामांकन पत्रों द्वारा नामांकित किया गया है, वहां एक से अधिक जमा राशि की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, यदि कोई उम्मीदवार दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहा है, तो उसे ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों में अलग-अलग जमानत राशि जमा करानी होगी। यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि कोई भी उम्मीदवार दो से अधिक संसदीय/विधानसभा क्षेत्रों से नामांकन नहीं कर सकता है। जमानत राशि चेक द्वारा जमा नहीं करवाई जा सकती।
- 13.6 उम्मीदवार द्वारा जमानत की राशि उसके नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले या नामांकन पत्र दाखिल करते समय जमा करानी होगी।
- 13.7 जमानत राशि रिटर्निंग ऑफिसर के पास नकद में या भारतीय रिजर्व बैंक अथवा राजकोष में चालान के माध्यम से जमा की जा सकती है। यदि जमानत राशि रिजर्व बैंक या राजकोष में जमा की गई है तो बैंक या राजकोष द्वारा इस संबंध में जारी की गई रसीद नामांकन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। उम्मीदवार भारत निर्वाचन आयोग के सुविधा पोर्टल <https://suvidha.eci.gov.in> के माध्यम से ऑनलाईन नामांकन पत्र भरते समय ऑनलाईन मोड से भी जमानत राशि जमा कर सकते हैं।
- 13.8 नामांकन दाखिल करते समय जमानत राशि प्राप्त करने की व्यवस्था भी उसी कक्ष में की जानी चाहिए जिसमें नामांकन पत्र प्राप्त किया जा रहा है।
- 13.9 संसदीय निर्वाचन के समय जमानत राशि निम्नलिखित खाते के शीर्षक के तहत जमा करवानी होगी: 8443-CIVIL DEPOSIT-121-DEPOSIT IN CONNECTION WITH ELECTONS-2-DEPOSITS MADE BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT.
- 13.10 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विधानमंडलों के चुनाव के लिए जमा राशि: 8443-CIVIL DEPOSIT-121-DEPOSIT IN CONNECTION WITH ELECTONS-1-DEPOSITS MADE BY CANDIDATES FOR STATE/UNION TERRITORIES LEGISLATURES.
14. Serial number of nomination papers:
- 14.1 प्रत्येक नामांकन पत्र प्राप्त होते ही रिटर्निंग अधिकारी या उसे प्राप्त करने वाले निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से उस पर क्रम संख्या अंकित की जायेगी। रिटर्निंग अधिकारी या निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र के मुख्य भाग पर प्राप्त होने की दिनांक एवं सटीक समय अंकित करते हुये उस पर अपना हस्ताक्षर भी

✓

करना हैं। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त नामांकनों को क्रमबद्ध रूप से (number)/LA or HP/(year)/RO के रूप में क्रमांकित किया जाएगा एवं यदि निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अन्य स्थान पर नामांकन पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं तो वह उनको क्रमबद्ध रूप से (number)/LA or HP/(year)/ARO के रूप में क्रमांकित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी या निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र पर दिनांक अंकित करते हुये हस्ताक्षर एवं क्रम संख्या के अतिरिक्त कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे। नामांकन पत्रों की अधिकतम संख्या की सीमा को ध्यान में रखते हुए किसी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नामांकन पत्र, रिटर्निंग ऑफिसर को निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (जिसे रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है एवं वह किसी अन्य स्थान पर नामांकन पत्र प्राप्त कर रहा है) से उसके साथ समन्वय स्थापित करते हुये काम करने हेतु निर्देशित करना हैं।

14.2 यदि किसी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन पत्रों की जांच के समय अपनी सुविधा के लिए उसके द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पत्रों सहित सभी संबंधित दस्तावेजों को एक फाइल/फोल्डर में रखना चाहिए।

14.3 जब एक से अधिक नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के पास आते हैं, तो वह उन पर उसी क्रम में क्रम संख्या अंकित करेगा जिस क्रम में वह उन्हें एक के बाद एक निपटाता है।

15. Preliminary examination of nomination papers:

15.1 नामांकन पत्र प्रस्तुत करने पर, रिटर्निंग अधिकारी स्वयं को संतुष्ट करेगा कि नामांकन पत्र में दर्ज उम्मीदवार और उसके प्रस्तावकों के नाम और मतदाता सूची संख्या वही हैं जो मतदाता सूची में दर्ज हैं। इस प्रकार, नामांकन पत्र की प्रारंभिक जांच, जैसा कि अधिनियम की धारा 33 (4) के तहत कानून द्वारा आवश्यक है, तकनीकी दृष्टिकोण से है। इसलिए, रिटर्निंग ऑफिसर को इस स्तर पर किसी भी नामांकन पत्र की औपचारिक जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

15.2 यदि उम्मीदवार उस निर्वाचन क्षेत्र के अलावा किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक है जहां वह नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है, तो रिटर्निंग अधिकारी या निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन पत्र में प्रविष्टियों की मिलान मतदाता सूची में उम्मीदवार के नाम से संबंधित प्रविष्टि उस निर्वाचन क्षेत्र या उसके संबंधित भाग की या उसके द्वारा प्रस्तुत ऐसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति के साथ करनी चाहिए। ऐसे मामले में यदि मतदाता सूची या उसके संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति नामांकन पत्र के साथ जमा नहीं की गई है तो, नामांकन पत्र की संवीक्षा के समय इसे रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

15.3 रिटर्निंग ऑफिसर या निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन पत्र प्राप्त करते समय यह भी जांचेंगे कि उम्मीदवार द्वारा संबंधित आवश्यक दस्तावेज को ठीक से दाखिल किए गए हैं या नहीं।

15.4 आयोग ने उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र दाखिल करने पर एक अलग और विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। रिटर्निंग अधिकारी इसका अध्ययन करेगा।

15.5 नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद और संवीक्षा के लिए निर्धारित तिथि शुरू होने से पहले उम्मीदवार को शपथ लेनी होगी।

15.6 मतदाता सूची का प्रमाणित उद्धरण (Certified extract) नामांकन पत्र की संवीक्षा के समय तक जमा कराया जा सकता है।

4, v

- 15.7 जब कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर या निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग ऑफिसर चेकलिस्ट के दूसरे कॉलम में यह अंकित करेगा कि आवेदक द्वारा संबंधित दस्तावेज संलग्न किए गए हैं तथा अन्य सभी आवश्यक पूर्तिया पूर्ण कर ली गई हैं। यदि दस्तावेजों में कोई त्रुटि या कमी है तो उसे स्पष्ट किया जाए।
- 15.8 मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4956/2010, रमेश राउत बनाम रविन्द्र नाथ रोट के मामले का निर्णय करते समय पाया कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पत्र की प्रस्तुति के समय तैयार की गई चेक लिस्ट में यह अंकित किया गया कि समस्त आवश्यक दस्तावेज एवं पूर्तिया पूर्ण पाई गई परन्तु उसके द्वारा यह निर्णय नहीं लिया जा सका कि प्रस्तुत दस्तावेज वांछित क्रम में नहीं हैं। मा. न्यायालय द्वारा आयोग को निर्देशित किया गया कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए दस्तावेजों की जांच करते समय और चेक लिस्ट भरते समय, रिटर्निंग ऑफिसर या निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन पत्र के साथ दाखिल दस्तावेजों में देखी गई त्रुटि, यदि कोई हो, के बारे में भी स्पष्ट पृष्ठांकन करना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार ने या तो फॉर्म "ए" और फॉर्म "बी" दाखिल नहीं किया है, या दाखिल किए गए फॉर्म आवश्यकताओं के अनुसार नहीं हैं (यानी ठीक से भरे हुए नहीं हैं या मूल रूप में हस्ताक्षरित नहीं हैं, आदि), रिटर्निंग ऑफिसर को चेकलिस्ट में इस कमी को इंगित करना चाहिए और फॉर्म 3ए (नामांकन की सूचना) तैयार करते समय उसे ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में कॉलम 6 के तहत इस आशय का उल्लेख भी करना चाहिए।
- 15.9 चैक लिस्ट दो प्रतियों में तैयार की जाएगी। चैक लिस्ट की दोनों प्रतियों पर रिटर्निंग ऑफिसर या निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के साथ-साथ नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवार/प्रस्तावक द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। चैक लिस्ट की छायाप्रति नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवार/प्रस्तावक को सौंपी जाएगी, जबकि मूल प्रति उम्मीदवार द्वारा दाखिल नामांकन पत्र के साथ रखी जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी दाखिल किए गए दस्तावेजों और तैयार की गई चेकलिस्ट का उचित रिकॉर्ड रखेगा।
- 15.10 उपरोक्तानुसार आवेदक को सौंपी गई चेक सूची की प्रति से दो प्रयोजन सिद्ध होंगे— प्रस्तुत दस्तावेजों की रसीद के साथ-साथ यह चैक लिस्ट अपूर्ण/वांछित दस्तावेजों को जमा करने के लिए नोटिस उद्देश्य भी पूर्ण करेगी। इसलिए, उक्त चैक लिस्ट में उल्लिखित वस्तुओं के संबंध में उम्मीदवारों को अलग से कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, नामांकन पत्र की प्राप्ति रसीद निर्धारित नामांकन पत्र के अंतिम भाग में प्रारूप के अनुसार दी जा सकती हैं।
- 15.11 यदि नामांकन दाखिल करने के बाद कोई दस्तावेज दाखिल किया जाता है, तो उम्मीदवारों को इस आशय की एक प्राप्ति रसीद जारी की जानी चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से उस तारीख और समय का उल्लेख होना चाहिए जिस पर दस्तावेज दाखिल करना आवश्यक है। इसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपने पास रखी गई मूल चैक लिस्ट में भी उचित स्थान पर अंकित किया जाना चाहिए।
16. Photograph of the candidate:
- 16.1 प्रत्येक चुनाव में, उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्र के साथ अपनी फोटो प्रस्तुत करनी होगी, किसी भी स्थिति में, नामांकन की जांच के लिए निर्धारित तिथि तक तो आवश्यक रूप से जमा करानी ही होगी। फोटोग्राफ के पीछे उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। फोटोग्राफ की विशिष्टताएँ इस प्रकार होनी चाहिए:

de, v

- 16.1.1 फोटोग्राफ अधिसूचना की तारीख से तीन महीने पहले की अवधि के दौरान लिया जाना चाहिए।
- 16.1.2 फोटोग्राफ का आकार 2 सेमी X 2.5 सेमी (2 सेमी चौड़ाई और 2.5 सेमी ऊंचाई) सफेद पृष्ठभूमि में, पूरा चेहरा सीधे कैमरे के सामने, खुली आंखों के साथ स्थिर चेहरे का भाव।
- 16.1.3 फोटो रंगीन या काले और सफेद रंग में हो सकता है जो उम्मीदवार के लिए सुविधाजनक हो।
- 16.1.4 फोटोग्राफ सामान्य कपड़ों में होना चाहिए। वर्दी में फोटो खींचने की अनुमति नहीं है, टोपी (Caps/Hats) से परहेज करना चाहिए।
- 16.1.5 काले चश्मे से भी परहेज करना चाहिए।
- 16.2 फोटोग्राफ जमा कराने वाले उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता/प्रस्तावक को यह घोषणा पत्र देने के लिए कहा जाएगा कि जमा किया जा रहा फोटो उम्मीदवार का है (नाम और पते का उल्लेख करते हुए) जो पिछले 3 महीने की अवधि के दौरान लिया गया था।
- 16.3 जमा की जाने वाली फोटोग्राफ नामांकन फॉर्म पर चिपकाए गए फोटो के समान होनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार मतपत्र पर मुद्रण के लिए फोटो की अतिरिक्त प्रति जमा नहीं करता है, तो नामांकन पत्र पर पहले से चिपकाए गए फोटो का उपयोग मतपत्र पर मुद्रण के लिए किया जाएगा। यह ध्यान रखने योग्य है कि उम्मीदवार द्वारा फोटोग्राफ जमा न करना उम्मीदवार के नामांकन पत्र को अस्वीकार करने का आधार नहीं होगा।
- 16.4 सभी नामांकन पत्र और उनके साथ प्राप्त दस्तावेज रिटर्निंग अधिकारी या निर्दिष्ट एआरओ की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखे जाने चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति की उन तक पहुंच नहीं होनी चाहिए।
17. Discrepancies and errors in electoral rolls:
- 17.1 अधिनियम की धारा 33(4) में प्रावधान है कि उम्मीदवार या उसके प्रस्तावकों या किसी अन्य व्यक्ति के नाम के संबंध में या मतदाता सूची में उल्लिखित किसी भी स्थान के संबंध में कोई गलत नाम या गलत विवरण या लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण त्रुटि नहीं होगी, या नामांकन पत्र और मतदाता सूची या नामांकन पत्र में ऐसे किसी भी व्यक्ति के मतदाता सूची नंबर के संबंध में कोई लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण त्रुटि ऐसे व्यक्ति या स्थान के संबंध में मतदाता सूची या नामांकन पत्र के पूर्ण संचालन को प्रभावित नहीं करेगी। किसी भी मामले में जहां व्यक्ति या स्थान के नाम के संबंध में विवरण वैसा हो जैसा आमतौर पर समझा जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे किसी भी गलत नाम या गलत विवरण या लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण त्रुटि को ठीक करने की अनुमति देगा और जहां आवश्यक हो, निर्देश देगा कि मतदाता सूची या नामांकन पत्रों में ऐसे किसी भी गलत नाम, गलत विवरण, लिपिक, तकनीकी या मुद्रण त्रुटि को नजरअंदाज किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर के पास किसी अन्य त्रुटि को सुधारने की अनुमति देने की कानून में कोई शक्ति नहीं है।
- 17.2 इसी प्रकार, यदि नामांकन पत्र और फोटोयुक्त मतदाता सूची में लगाए गए फोटो के मिलान नहीं होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो रिटर्निंग अधिकारी आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से व्यक्ति की पहचान के बारे में संतुष्ट होने के बाद उसे नजरअंदाज कर देगा।

de, v

17.3 ऐसे बिंदुओं जिनका रिटर्निंग अधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 33(4) के तहत निपटान करना आवश्यक है, को हमेशा इसी स्तर पर निपटाया जाना चाहिए। नामांकन पत्र की संवीक्षा के समय रिटर्निंग अधिकारी के लिए नामांकन पत्र को उन त्रुटियों के लिए अस्वीकार करना अवांछनीय होगा, जिन्हें नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के पहले चरण में ही ठीक किया जा सकता था।

18. Signature of candidates and proposes in nomination papers:

18.1 प्रत्येक नामांकन पत्र पर उम्मीदवार और आवश्यक संख्या में प्रस्तावकों के हस्ताक्षर होंगे। हालाँकि, उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक को हस्ताक्षर के रूप में अपना पूरा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। वह हस्ताक्षर का अपना सामान्य रूप अपना सकता है, उदाहरण के लिए, उपनाम के बाद एक या अधिक प्रारंभिक अक्षर, इसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वैध हस्ताक्षर माना जाना चाहिए। यह अनिवार्य नहीं है कि नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर व्यक्ति के मतदाता सूची में छपे पूरे नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए।

18.2 एक प्रस्तावक एक ही उम्मीदवार या विभिन्न उम्मीदवारों के एक से अधिक नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर कर सकता है। प्रस्तावक के रूप में नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद, प्रस्तावक बाद में ऐसे प्रस्तावक होने से पीछे नहीं हट सकता।

18.3 यदि कोई अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावक अपने हस्ताक्षर हेतु अपना नाम लिखने में असमर्थ है, यदि उसने नामांकन पत्र पर निशान या अंगूठा लगाया है तो यह माना जाएगा कि उसने नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं बशर्ते उसने यह रिटर्निंग ऑफिसर या निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग ऑफिसर या उप-खण्ड अधिकारी के पद से नीचे के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति में किया हो। ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति की पहचान से संतुष्ट होने पर निशान/अंगूठे को सत्यापित करेगा। अंगूठे का निशान सत्यापनकर्ता अधिकारी की उपस्थिति में ही लगाया जायेगा।

18.4 यदि ऊपर वर्णित अनुसार, प्रस्तावकों की आवश्यक संख्या द्वारा हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं लगाया गया है, तो ऐसे नामांकन पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 के तहत वैध नामांकन पत्र नहीं माना जाएगा। इसे substantial character में कमी मानते हुए इसके आधार पर नामांकन की संवीक्षा के समय नामांकन पत्र को अस्वीकार किया जा सकेगा।

19. Receipt and notice of scrutiny and allotment of symbols:

नामांकन पत्र की क्रम संख्या, उम्मीदवार का नाम, नामांकन की जांच के लिए तिथि, समय और स्थान, आदि नामांकन पत्र के अंतिम भाग में दर्शाया जाएगा और नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी सुविधा के लिए एक ही प्रारूप में अलग रसीद और नोटिस भी जारी कर सकते हैं।

20. Oath of affirmation by candidates:

20.1 संविधान के अनुच्छेद 84(a) या अनुच्छेद 173(a), केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम की धारा 4(a) के तहत आवश्यक संसद, राज्य विधानमंडल या केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा के चुनाव में एक उम्मीदवार, 1963, या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 4(a), या जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 16(a), जैसा भी मामला हो, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

- 20.2 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों, सभी वेतनभोगी प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के सभी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, सभी जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित सभी व्यक्तियों को अधिकृत किया है, जिनके समक्ष शपथ ली जा सकती है या प्रतिज्ञान किया जा सकता है और उस पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।
- 20.3 इसके अलावा, ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो जेल में बंद है या निवारक निरोध के तहत है, को सम्बन्धित जेल के अधीक्षक या हिरासत शिविर के कमांडेंट जिसमें वह कैद है या ऐसी नजरबंदी के तहत है, को भी शपथ दिलाने के लिए अधिकृत किया गया है। और किसी उम्मीदवार के बीमारी या किसी अन्य कारण से अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में, अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक या उसकी देखभाल करने वाले अन्य चिकित्सक को भी इसी तरह अधिकृत किया जाता है। ऐसे उम्मीदवार के मामले में, जो भारत से बाहर है, वह उम्मीदवार उस देश में भारत के राजनयिक या वाणिज्यदूत प्रतिनिधि या ऐसे राजनयिक या वाणिज्यदूत प्रतिनिधि द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान ले सकता है और हस्ताक्षरित किया जा सकता है। जहां यदि उम्मीदवार किसी अन्य कारण से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है या उसे उपस्थित होने से रोका गया है, तो चुनाव आयोग द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष इस निमित्त आवेदन करके शपथ ली जा सकती है या प्रतिज्ञान किया जा सकता है और उस पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।
- 20.4 अधिनियम की धारा 36(2) में प्रावधान है कि उम्मीदवार को नामांकन पत्र की संवीक्षा तिथि के दिन योग्य होना चाहिये ना कि अयोग्य। नामांकन की संवीक्षा के लिए निर्धारित तिथि से पहले शपथ या प्रतिज्ञान किया जाना चाहिए। मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पशुपति नाथ सिंह बनाम हरिहर प्रसाद सिंह (A.I.R. 1968-SC-1064) और खादर खान हुसैन खान और अन्य बनाम निजलिंगप्पा (1970-1 SCA-548) में शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना और उस पर हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुये इसके सम्बन्ध में सभी संदेह दूर कर दिए हैं। इन निर्णयों के अनुसार, शपथ या विधिपूर्ण प्रतिज्ञान किसी उम्मीदवार द्वारा उसके नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही किया और हस्ताक्षरित किया जा सकता है और जांच की तारीख पर ऐसा नहीं किया जा सकता है और उस पर हस्ताक्षर नहीं किया जा सकता है। इसलिए, रिटर्निंग ऑफिसर को उम्मीदवार को अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के तुरंत बाद शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने की सलाह देनी चाहिए और किसी भी स्थिति में संवीक्षा की तारीख से एक दिन पहले तथा शपथ/प्रतिज्ञान ले लिया जाना चाहिये। ऐसे में नामांकन पत्र की संवीक्षा के लिए अधिसूचित तिथि से एक दिन पहले किसी भी समय ली गई शपथ को समय के भीतर माना जाना चाहिए।
- 20.5 यह आवश्यक नहीं है कि यदि कोई उम्मीदवार आम चुनाव में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकित है और उसने एक ही सदन के एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए शपथ ली है तो शपथ या प्रतिज्ञान एक से अधिक बार किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 84(a) और 73(a) के तहत यह आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति को संविधान की तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करना चाहिए और उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर को यह दिखाना होगा कि दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में दाखिल नामांकन के संबंध में शपथ वैध रूप से ली गई है। उम्मीदवार के लिए यह भी खुला होगा कि वह दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में भी एक और शपथ ले सकता है।
- 20.6 यह साबित करने का उत्तरदायित्व स्वयं उम्मीदवार पर है कि किसी उम्मीदवार ने किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ ली थी या प्रतिज्ञान किया था। यह पर्याप्त है यदि उम्मीदवार या उसका प्रतिनिधि रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अधिकृत व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार

को जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि उसने उसके समक्ष शपथ ली है या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रमाण पत्र में शपथ लेने की तिथि एवं समय अंकित होना चाहिए।

21. Manner of making and subscribing oath or affirmation:

- 21.1 शपथ या प्रतिज्ञान पहले किया जाना चाहिए और फिर अधिकृत व्यक्ति के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। यह ध्यान में रखना चाहिए कि जिस कागज पर शपथ का प्रपत्र लिखा है उस पर हस्ताक्षर करना ही पर्याप्त नहीं है। उम्मीदवार को अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी। उम्मीदवार से शपथ को जोर से पढ़ने के लिए कहना चाहिए और फिर जिस कागज पर यह लिखा है उस पर हस्ताक्षर करने और तारीख बताने के लिए कहना चाहिए। यदि उम्मीदवार निरक्षर है या फॉर्म पढ़ने में असमर्थ है तो अधिकृत व्यक्ति को शपथ पढ़नी चाहिए और उम्मीदवार को उसे दोहराने के लिए कहना चाहिए और उसके बाद फॉर्म पर उसके अंगूठे का निशान लेना चाहिए। सभी मामलों में, अधिकृत व्यक्ति को फॉर्म पर यह पृष्ठांकित करना चाहिए कि उम्मीदवार द्वारा उस दिन और समय पर प्रतिज्ञान की शपथ ली गई है और उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- 21.2. अधिकृत व्यक्ति उम्मीदवार को तुरंत एक प्रमाण पत्र देगा कि उसने उस दिन एक विशेष समय पर उसके समक्ष शपथ ली है और उस पर हस्ताक्षर किए हैं। अभ्यर्थी को इसके लिये आवेदन किये बिना ही प्रमाण पत्र दे दिया जाना चाहिए। इससे बाद में इस विवाद से बचा जा सकेगा कि उम्मीदवार ने शपथ ली थी या नहीं।
- 21.3. यदि अधिकृत व्यक्ति जेल का अधीक्षक या डिटेंशन कैंप का कमांडेंट है, तो उसे नामांकन की जांच के समय रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार को शपथ की एक प्रमाणित प्रति जारी करनी चाहिए। जेल के अधीक्षक या डिटेंशन कैंप के कमांडेंट एक साथ रिटर्निंग ऑफिसर को ट्रांसमिशन के सबसे त्वरित माध्यम से एक लिखित संचार भेजेंगे जिसमें उस तारीख और समय का संकेत दिया जाएगा जिस पर विशेष उम्मीदवार ने शपथ ली थी या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर किए थे। वह रिटर्निंग ऑफिसर को उम्मीदवार द्वारा ली गई और हस्ताक्षरित शपथ या प्रतिज्ञान की मूल प्रति भी भेजेगा।
- 21.4 यदि अधिकृत व्यक्ति किसी अस्पताल का चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा व्यवसायी या उस देश में भारत का राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि है जहां उम्मीदवार है या जिला न्यायाधीश या राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्ति या वेतन भोगी प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट है या प्रथम श्रेणी के वेतन भोगी मजिस्ट्रेट या चुनाव आयोग द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति को, जैसे ही उम्मीदवार शपथ या प्रतिज्ञान लेता है और हस्ताक्षर करता है, इस तथ्य को फॉर्म पर प्रमाणित करना चाहिए, अपने रिकॉर्ड के लिए एक प्रति रखनी चाहिए और उम्मीदवार को मूल सौंपना चाहिए। यह देखना उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी कि मूल शपथ या प्रतिज्ञान नामांकन पत्रों की जांच के लिए निर्धारित समय पर या उससे पहले रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
- 21.5 रिटर्निंग ऑफिसर और निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को शपथ के इन प्रपत्रों को उस राज्य की आधिकारिक भाषा और अंग्रेजी में printed, cyclostyled या typed करवाना चाहिए और उन्हें अपने पास तैयार रखना चाहिए। यदि चुनाव लड़ने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति फॉर्म की प्रति मांगता है तो उसे यह उपलब्ध करायी जानी चाहिए। जब कोई उम्मीदवार जो बीमारी के कारण बिस्तर पर है, अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी के समक्ष या किसी के समक्ष शपथ लेता है चिकित्सा प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह शपथ प्रपत्र की दो प्रतियां प्राप्त करें ताकि चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सक शपथ दिला सकें।

५/२

22. Nomination by overseas electors:

एक प्रवासी निर्वाचक जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20A के तहत मतदाता सूची में पंजीकृत है, उसे उस इलाके से संबंधित नामावली के हिस्से में शामिल किया जाएगा जिसमें भारत में उसका निवास स्थान, जैसा कि उसके पासपोर्ट में उल्लिखित है, स्थित है। मतदाता सूची में नामांकन एक प्रवासी निर्वाचक को कानून की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्रदान करता है। कानून के तहत निर्धारित आवश्यक योग्यताओं में से एक यह है कि उम्मीदवार को इस संबंध में आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में शपथ लेनी होगी या प्रतिज्ञान करना होगा। ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो एक प्रवासी निर्वाचक है और जो भारत से बाहर है, शपथ उस देश में भारत के राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि के समक्ष ली जा सकती है जहां उम्मीदवार है। एक प्रवासी निर्वाचक प्रतिज्ञान की शपथ लेने के लिए संबंधित देश के भारतीय मिशन में अधिकृत व्यक्ति से संपर्क कर सकता है। यदि कोई प्रवासी निर्वाचक नामांकन दाखिल करने के समय भारत में है, तो वह रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान कर सकता है। यदि कोई उम्मीदवार जो प्रवासी निर्वाचक है, शपथ लेने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर या संबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति की पहचान सावधानीपूर्वक सत्यापित की गई है। उस व्यक्ति का पासपोर्ट, ऐसे व्यक्ति को शपथ लेते समय या प्रतिज्ञान करते समय रिटर्निंग ऑफिसर या निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सत्यापन के लिए अपना मूल पासपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

23. Nomination by dismissed govt servant:

23.1 अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, एक व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति विश्वासघात के लिए बर्खास्त कर दिया गया है, उसे ऐसी बर्खास्तगी की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा।

23.2 इसके अलावा अधिनियम की धारा 33 (3) में प्रावधान है कि बर्खास्तगी की तारीख से 5 साल की अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में विधिवत नामांकित नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके नामांकन पत्र के साथ चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से जारी प्रमाण पत्र न हो कि उन्हें भ्रष्टाचार और राज्य के प्रति विश्वासघात के लिए बर्खास्त नहीं किया गया है।

23.3 चुनाव आयोग द्वारा इस आशय का जारी किया गया प्रमाण पत्र कि भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन पद पर रहने वाले किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति विश्वासघात के लिए बर्खास्त किया गया है या नहीं किया गया है, का तथ्य सहित निर्णायक प्रमाण होगा।

24. Online filling up of nomination papers:

24.1 आयोग ने नामांकन फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण की ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि के लिए उम्मीदवारों को एक वैकल्पिक सुविधा प्रदान की है। उम्मीदवारों के लिए यह सुविधा चुनाव आयोग के सुविधा पोर्टल <https://suvidha.eci.gov.in> पर उपलब्ध होगी।

24.2 उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन करना होगा और मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। वर्तमान में यह सुविधा दो भाषाओं अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है।

4,2

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक चरण में सत्यापन जांच से उम्मीदवारों को उचित प्रारूप में और त्रुटि रहित फॉर्म भरने में मदद मिलेगी। अभ्यर्थियों द्वारा जमानत राशि के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी इसी सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध है।

(a) सुविधा पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने के निम्नलिखित चरण हैं:

चरण 1— उम्मीदवार को पंजीकरण करना होगा और मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद, उम्मीदवार को अपना EPIC नंबर दर्ज करना होगा और संबंधित विवरण मतदाता सूची से स्वतः प्राप्त हो जाएंगे।

चरण 2— तत्पश्चात उम्मीदवार को नामांकन फॉर्म में अपने व्यक्तिगत विवरण की प्रविष्टि करनी होगी। त्रुटि या गलती के मामले में, फॉर्म में भरी गई प्रविष्टियों को अंतिम रूप दिए जाने तक, उम्मीदवार द्वारा संपादित/सुधार किया जा सकता है।

चरण 3— पूर्ण विवरण सत्यापन के बाद, उम्मीदवार को फॉर्म को अंतिम रूप देना होगा और रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष फॉर्म को भौतिक रूप से जमा करने के लिए दी गई तारीखों में से 3 सुविधानुसार तारीखों के चयन के लिए आगे बढ़ना होगा।

चरण 4— उम्मीदवार नेट बैंकिंग से उपलब्ध विकल्पों को चुनकर जमानत राशि ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, उम्मीदवार चालान का विवरण दर्ज करना या नकद द्वारा जमा करने का विकल्प भी चुन सकता है।

चरण 5— यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिस फॉर्म में उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि की गई थी, उसे केवल तभी विधिवत जमा माना जाएगा जब सिस्टम से QR कोड के साथ एक प्रिंटआउट लिया गया है, जिस पर उम्मीदवार और प्रस्तावक दोनों द्वारा स्याही से हस्ताक्षर किए गए हैं और उम्मीदवार द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच इस प्रयोजन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर या निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को नियत तिथि और स्थान पर हाथ से दिया जाएगा। नामांकन भरने की अंतिम तिथि से एक दिन पहले ऑनलाइन नामांकन करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

(b) Provision of IT infrastructure and manpower-

(i) रिटर्निंग अधिकारियों को अधिसूचना की तारीख से नामांकन के अंतिम दिन तक नामांकन में उम्मीदवार द्वारा किए गए व्यक्तिगत विवरण की ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि के भौतिक सत्यापन के लिए एक कार्य केंद्र स्थापित करना चाहिए।

(ii) रिटर्निंग अधिकारी को उक्त कार्यस्थल पर आवश्यकता के अनुसार प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम, स्टेशनरी और अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ एक या अधिक कंप्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। कंप्यूटर/लैपटॉप वेबकैम के साथ होना चाहिए और न्यूनतम i3 प्रोसेसर, 2 जीबी रैम और कम से कम 50 जीबी रिक्त मेमोरी उपलब्ध होना चाहिए। यदि लैपटॉप/डेस्कटॉप में वेबकैम पूर्व से ही प्रयुक्त है तो यह कम से कम 2 मेगा पिक्सल का होना चाहिए जबकि अलग वेबकैम के मामले में यह कम से कम 5 मेगा पिक्सल का होना चाहिए।

(iii) ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउज़र को अद्यतन एंटीवायरस JavaScript सपोर्ट के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए।

(iv) सिस्टम और हार्डवेयर को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पहले से ही नमूना QR कोड स्कैन करके और स्कैनिंग और प्रिंटिंग की गुणवत्ता की जांच की जाएगी।

✓, ✓

(v) रिटर्निंग अधिकारी को कर्मचारियों की पहचान करनी चाहिए और समय पर स्कैनिंग, प्रिंटिंग आदि के उद्देश्य से उक्त कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, QR कोड की स्कैनिंग, उम्मीदवार द्वारा भरी गई भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक कॉपी का सत्यापन, सिस्टम से प्राप्त रसीद को तैयार करना और उसका प्रिंट बाहर लेना चाहिए।

(c) Processing and verifying Nomination Forms in which data entry made by candidate online-

(i) रिटर्निंग ऑफिसर लॉगिन करेगा और नामांकन फॉर्म की प्रक्रिया पूरी करेगा, जिसमें ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि ENCORE Portal, <https://encore.eci.gov.in> के माध्यम से की गई और प्राप्त की गई थी।

(ii) रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन फॉर्म का प्रिंट आउट देने की तारीखों के लिए उम्मीदवारों द्वारा बताई गई सभी प्राथमिकताओं को देख सकता है, जिसमें ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि की गई थी और तदनुसार appointment दे सकता है।

(iii) सुविधा पोर्टल का उपयोग करके भरे गए नामांकन फॉर्म को डाउनलोड करना, मुद्रित करना और सभी प्रकार की पूर्तियां करना आवश्यक है और फिर उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को हार्ड कॉपी प्रस्तुत की जानी चाहिए। ऐसे प्रत्येक नामांकन फॉर्म को सत्यापित करने से पहले, रिटर्निंग अधिकारी पहले पृष्ठ के शीर्ष पर QR कोड की जांच करेगा। QR कोड की स्कैनिंग सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाएगी, जिसमें आवेदन प्राप्त होने का समय अंकित होगा। (यदि किसी भी स्थिति में, QR कोड वेबकैम के माध्यम से पढ़ने योग्य नहीं है, तो रिटर्निंग अधिकारी के पास फॉर्म पर मुद्रित सिस्टम जनरेटेड नामांकन आईडी दर्ज करने और सत्यापन के लिए आगे बढ़ने का विकल्प है।)

(iv) स्कैनिंग के बाद, भौतिक रूप से सौंपे गए फॉर्म के विवरण की जांच की जाएगी और ऑनलाइन सबमिट किए गए फॉर्म से सत्यापित किया जाएगा।

(v) ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि और भौतिक रूप से जमा किए गए फॉर्म के बीच अंतर के मामले में, नामांकन फॉर्म जो ऑफलाइन जमा किया गया है को वैध फॉर्म माना जाना चाहिए और भौतिक रूप से जमा किए गए फॉर्म के प्रसंस्करण की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। ऐसे मामले में ऑनलाइन नामांकन फॉर्म को खारिज कर दिया जाए।

(vi) रिटर्निंग अधिकारी जमानत राशि के ऑनलाइन भुगतान के विवरण को सत्यापित करेंगे। यदि राशि नामित संस्था/बैंक के कोषागार/बैंक खाते में जमा नहीं हुई है, तो इसे नामांकन पत्र में दर्ज किया जाएगा और बैंक लिस्ट के माध्यम से उम्मीदवार को इसकी सूचना दी जाएगी। ऐसे मामले में, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित जमानत राशि जमा कराने के लिये मैनुअल विधि का पालन किया जाएगा।

(vii) उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार नामांकन फॉर्म के सत्यापन के बाद, रिटर्निंग अधिकारी सिस्टम में भाग (IV) भरेगा और रसीद तैयार करने के लिए आगे बढ़ेगा।

(viii) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त रसीद में अंकित विवरण को सत्यापित करते हुये नियमानुसार इसकी हस्ताक्षरित प्रति उम्मीदवार को सौंपनी चाहिए।

(ix) रिटर्निंग अधिकारी चेकलिस्ट तैयार करेगा और उसे उचित रसीद के साथ उम्मीदवार को सौंप दिया जाएगा।



25. Notice of nominations:

25.1 अधिनियम की धारा 35 के अनुसार, रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र प्राप्त करने पर उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को नामांकन पत्र की जांच के लिए निर्धारित तिथि, समय और स्थान के बारे में सूचित करेगा और नामांकन पत्र पर उसका क्रमांक दर्ज करेगा। वह एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगा जिसमें उस तारीख और समय का उल्लेख होगा जिस पर नामांकन उसे सौंपा गया है, और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके, अपने कार्यालय में किसी विशिष्ट स्थान पर नामांकन पत्र की एक सूचना चिपका देगा, यह नामांकन सूचना लोक सभा या विधानसभा के चुनाव के लिए फॉर्म 3A में उम्मीदवार और प्रस्तावक दोनों के नामांकन पत्र में शामिल विवरणों के समान विवरण अंकित करेगा। अधिसूचना की तिथि और नामांकन करने की अंतिम तिथि के बीच प्रत्येक दिन फॉर्म 3A दोपहर 3 बजे के बाद प्रकाशित किया जाएगा, अधिसूचना जारी होने का दिन एवं नामांकन की अंतिम तिथि, दोनों दिन अपने नोटिस बोर्ड पर अंकित करें।

25.2 निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारी को प्रत्येक दिन के अंत में उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए नामांकन पत्रों के संबंध में भी ऐसा ही करना चाहिए यदि वह किसी अलग स्थान पर नामांकन पत्र प्राप्त कर रहा है, यानी यदि निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारी का कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी के मुख्यालय के बाहर है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र के भीतर हैं। यदि एक ही अभ्यर्थी के संबंध में एक से अधिक नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं तो उन सभी की सूचना अवश्य दी जानी चाहिए। इस दैनिक नोटिस की एक प्रति निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रतिदिन रिटर्निंग अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ताकि रिटर्निंग अधिकारी को समग्र रूप से निर्वाचन क्षेत्र की नवीनतम स्थिति की जानकारी हो सके।

26. ऐसे मामलों में जहां RO और ARO दोनों के कार्यालय निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के बाहर स्थित हैं, तो नामांकन का एक सेट RO के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए और दूसरा सेट निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के भीतर किसी सार्वजनिक परिसर में आम जनता के लिए प्रदर्शित किया जाना चाहिए। यदि कोई विधिवत शपथ पत्र के माध्यम से नामांकन फॉर्म में दिए गए बयानों के अतिरिक्त कोई अन्य जानकारी प्रस्तुत करता है, तो ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां भी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

27. Transmission of nomination papers by specified Assistant Returning Officer:

रिटर्निंग अधिकारी निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारी को निर्देश देगा कि वह नामांकन करने के अंतिम दिन के तुरंत बाद या यदि सुविधाजनक हो, तो उसके द्वारा प्राप्त सभी नामांकन पत्रों के साथ-साथ उससे जुड़े अन्य सभी कागजात को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए दैनिक आधार पर अग्रेषित करें। किसी भी स्थिति में, ऐसे सभी कागजात नामांकन करने का आखिरी दिन शाम 7 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच जाने चाहिए।

28. Submission of Form A and Form B:

28.1 उम्मीदवार का राजनीतिक दल नामांकन पत्र के साथ नामांकन करने की अंतिम तिथि को अपराह्न 3 बजे तक फॉर्म-ए और फॉर्म-बी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से विधिवत हस्ताक्षरित, रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। राजनीतिक दल का उम्मीदवार बनने की शर्तें:

क्ष, ✓

- 28.1.1 उम्मीदवार को नामांकन पत्र में संबंधित कॉलम में घोषित करना होगा कि वह पार्टी द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार है।
- 28.1.2 संबंधित राजनीतिक दल को संबंधित उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार नामित करते हुए फॉर्म-ए और फॉर्म-बी जमा करना चाहिए। तदनुसार, रिटर्निंग अधिकारी केवल राजनीतिक दल से प्राप्त उन्ही सूचनाओं को स्वीकार करेगा जो राजनैतिक दल द्वारा नामांकन की अन्तिम तिथि को अपराह्न 3.00 बजे तक फॉर्म ए और बी में प्रेषित की जायेगी। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किसी भी सूचना पर किसी भी उद्देश्य के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में फॉर्म की प्राप्ति का समय रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा फॉर्म पर दर्ज किया जाएगा। यदि फॉर्म उम्मीदवार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की गई ऐसी प्रविष्टियों के तहत उसके हस्ताक्षर भी प्राप्त किए जाने चाहिए। फॉर्म-ए और फॉर्म-बी पर संबंधित राजनीतिक दल के अधिकृत पदाधिकारी के मूल हस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसे फॉर्म की ईमेल, फैक्स प्रतियां आदि स्वीकार्य नहीं हैं। मुख्य उम्मीदवार के लिए जमा किया गया फॉर्म-बी अन्य वैकल्पिक उम्मीदवार के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- 28.2 यह संबंधित पार्टी या उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वे मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय को फॉर्म-ए और रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म-ए तथा फॉर्म-बी जमा करें। रिटर्निंग अधिकारियों को फॉर्म-ए अग्रेषित करना मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है। जब तक दोनों फॉर्म-ए और फॉर्म-बी चुनाव चिन्ह आदेश की आवश्यकताओं के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर को जमा नहीं किए जाते, तब तक संबंधित उम्मीदवारों को राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के रूप में नहीं माना जाएगा।
29. Preparation of consolidated list of nominated candidates:
- 29.1 नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि पर अपराह्न 3.00 बजे के तुरंत बाद, या रिटर्निंग अधिकारी को निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारी से सभी नामांकन पत्र प्राप्त होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, उसे सभी नामांकन पत्रों की एक समेकित सूची तैयार करनी चाहिए, जो या तो उसके सामने या निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।
- 29.2 यदि एक से अधिक उम्मीदवारों ने एक ही पार्टी द्वारा खड़े किये जाने का दावा किया हो तो ऐसे सभी उम्मीदवारों के नाम सम्बन्धित श्रेणी, यानी श्रेणी (i) या (ii), जो भी प्रासंगिक हो में शामिल किए जाने चाहिए। हालाँकि, उपरोक्त सूची के कॉलम 6 और 7 में ऐसे प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में नामांकन की अंतिम तिथि पर अपराह्न 3.00 बजे तक निर्धारित फॉर्म-ए और फॉर्म-बी में संबंधित पार्टी से प्राप्त सूचना, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त टिप्पणियाँ दी जानी चाहिए। इससे संबंधित उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच के समय रिटर्निंग ऑफिसर के कार्य में सुविधा होगी।
- 29.3 रिटर्निंग अधिकारी को उपरोक्त सूची में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा वरीयता क्रम में चुने गए प्रतीकों को भी इंगित करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, उम्मीदवार के संबंध में सबसे पहले सौंपे गए नामांकन पत्र में दर्शाए गए विकल्प को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हालाँकि, किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य पार्टी द्वारा खड़ा होने का दावा करने वाले उम्मीदवार के मामले में, और जिसके पक्ष में निर्धारित तिथि और समय के भीतर संबंधित राजनीतिक दल से फॉर्म-ए और फॉर्म-बी में अपेक्षित सूचना प्राप्त हो गई है, उस पार्टी के लिए आरक्षित प्रतीक को कॉलम 4 में दिखाया जाना चाहिए, बशर्ते कि संबंधित उम्मीदवार ने

4, ✓

अपने द्वारा विधिवत दाखिल किए गए किसी भी नामांकन पत्र में यह घोषणा की हो कि उसे ऐसी पार्टी द्वारा खड़ा किया गया है और उसने आरक्षित प्रतीक के आवंटन की मांग की है।

29.4 इस सूची की एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संचार के सबसे तेज़ माध्यम से 'Election Immediate' अंकित करके भेजें। सूची की एक प्रति चुनाव आयोग को भी भेजी जानी चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नामांकित उम्मीदवारों की सूची में प्रत्येक उम्मीदवार का पूरा पता ठीक से दर्शाया गया है।

29.5 उन मामलों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है जहां एक उम्मीदवार एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करता है और दोनों/ऐसे सभी दल उसके पक्ष में फॉर्म-ए और फॉर्म-बी भेजते हैं। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि फॉर्म-बी में, संबंधित राजनीतिक दल को यह घोषणा करनी होती है कि जिस उम्मीदवार को पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जा रहा है, वह उस पार्टी का सदस्य है। एक व्यक्ति एक ही समय में दो अलग-अलग पार्टियों का सदस्य नहीं हो सकता। इसलिए, यदि कोई उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किये जाने का दावा करता है और दोनों/ऐसे सभी दलों ने उसके पक्ष में फॉर्म-ए और फॉर्म-बी जमा किया है, तो रिटर्निंग अधिकारी जांच के समय तथ्यों की जांच करेगा कि उम्मीदवार किस राजनीतिक दल का सदस्य है और क्या उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र में उल्लिखित अन्य राजनीतिक दल/पार्टियों का सदस्य नहीं रह गया है, और तदनुसार उम्मीदवार की पार्टी संबद्धता का निर्णय लेगा।

29.6 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से गैर-एससी/एसटी व्यक्तियों के चुनाव लड़ने के मामलों को रोकने के लिए, नामांकन की जांच के समय रिटर्निंग अधिकारियों को स्वयं के स्तर पर संतुष्टि करनी चाहिए कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार एससी या एसटी, जैसा भी मामला हो, से संबंधित हैं। जहां भी संदेह हो, रिटर्निंग अधिकारी को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी एससी/एसटी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर जोर देना चाहिए। हालाँकि, जहाँ उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र को भी चुनौती दी जाती है, रिटर्निंग ऑफिसर को उस प्रश्न पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सिवाय इसके कि जहाँ यह आरोप लगाया गया हो कि प्रस्तुत प्रमाणपत्र जाली है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है। प्रमाण पत्र की वास्तविकता के बारे में किसी भी आरोप/संदेह के मामले में, रिटर्निंग अधिकारी को संबंधित उम्मीदवार के नामांकन पत्र की वैधता तय करने से पहले उस प्राधिकारी से स्थिति की जांच करानी चाहिए जिसने कथित तौर पर एससी/एसटी प्रमाण पत्र जारी किया था। यदि इस तरह की क्रॉस-चेकिंग/सत्यापन पर, रिटर्निंग ऑफिसर संतुष्ट है कि प्रश्नगत प्रमाण पत्र वास्तविक नहीं है, तो उसे न केवल संबंधित उम्मीदवार के नामांकन को खारिज कर देना चाहिए, बल्कि उसके सामने दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी शुरू करनी चाहिए।

30. Vehicle & number of persons allowed at the time of filing of nomination papers:

रिटर्निंग अधिकारी या निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय जहां नामांकन प्राप्त किए जा रहे हैं, के 100 मीटर की परिधि के भीतर अधिकतम तीन वाहनों को आने की अनुमति है। 100 मीटर की परिधि का सीमांकन करते हुए उचित बैरिकेडिंग की जाएगी। Dy. S.P. or ACP स्तर के अधिकारी पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों के साथ उचित बैरिकेडिंग सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे, नामांकन दाखिल करने के दौरान

५५

रिटनिंग ऑफिसर या निर्दिष्ट सहायक रिटनिंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति देने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या उम्मीदवार सहित पांच से अधिक नहीं होगी।

31. Videography

नामांकन करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान रिटनिंग ऑफिसर/निर्दिष्ट सहायक रिटनिंग ऑफिसर के कमरे और प्रवेश और निकास स्थानों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के साथ 360 डिग्री सीसीटीवी कवरेज किया जाएगा। यदि 360 डिग्री सीसीटीवी संभव नहीं है, तो उसी तरीके से वीडियोग्राफी की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नामांकन की पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रतिदिन पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक सीसीटीवी या वीडियो कैमरे में रिकॉर्डिंग निरंतर होती रहे। रिकॉर्डिंग उपकरण में उचित समय की मोहर लगाई जाएगी। सीसीटीवी या वीडियोग्राफी इस तरह से स्थापित की जाएगी कि यह उम्मीदवार के प्रवेश, आरओ/एआरओ के समक्ष उसके द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत करने और उम्मीदवार के बाहर निकलने और आरओ/एआरओ के कमरे में रखी घड़ी को भी कैद कर सके। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कमरे के अंदर घड़ी का समय और सीसीटीवी/वीडियो कैमरे में किया गया समय सही और समान होगा।

32. Publication of criminal antecedents:

मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 784 (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ और अन्य) और वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 (पब्लिक इंट्रेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) तथा वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में वर्ष 2018 की अवमानना याचिका (सिविल) सं. 2192 में और अवमानना याचिका (सी) नंबर 656/2020, अवमानना याचिका (सी) नंबर. 2192/2018, रिट याचिका (सिविल) 536/2011 में प्रदत्त निर्णयों/निर्देशों के अनुसरण में आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों और ऐसे उम्मीदवारों को प्रायोजित करने वाले राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रकाशन के लिए एक अलग और विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। हालाँकि, संक्षिप्तता के लिए, यह दोहराया जाता है कि जिस उम्मीदवार का आपराधिक पृष्ठभूमि है, जिसे दोषी ठहराया गया है या विचाराधीन है, उसे अपने आपराधिक पृष्ठभूमि को प्रारूप सी-1 में नाम वापसी की अंतिम तिथि के अगले दिन से शुरू करके मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित तारीख, के साथ समाप्त होने वाले समय से 48 घंटे पहले तक तीन बार प्रचारित करना होगा। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- i. उम्मीदवारी वापस लेने के प्रथम 4 दिनों के भीतर।
- ii. अगले 5वें से 8वें दिन के मध्य
- iii. 9वें दिन से प्रचार अवधि के अन्तिम दिन तक (मतदान की तारीख से दो दिन पूर्व तक)

(उदाहरण: यदि नाम वापसी की अंतिम तिथि महीने की 10 तारीख है और मतदान महीने की 24 तारीख को है, तो घोषणा का प्रकाशन निम्नलिखित समय अवधि में किया जाएगा:-

- i. प्रथम प्रकाशन माह की 11 से 14 तारीख के बीच किया जाएगा।
- ii. द्वितीय प्रकाशन माह की 15 से 18 तारीख के बीच किया जाएगा
- iii. और तृतीय प्रकाशन माह की 19 से 22 तारीख के बीच किया जाएगा)

32.1 प्रारूप सी-1 में आपराधिक पूर्ववृत्त का विवरण दो समाचार पत्रों और टीवी/केबल में प्रकाशित किया जाना है। समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए न्यूनतम फॉन्ट आकार 12 है और टीवी/केबल के लिए यह standard size निर्धारित हैं। टीवी/केबल पर प्रसारण सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक के दौरान किया जाना चाहिए। इसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले स्वतंत्र उम्मीदवारों और उन उम्मीदवारों द्वारा भी प्रकाशित किया जाना है जो निर्विरोध चुने जाते हैं और आपराधिक पृष्ठभूमि रखते हैं।

32.2 रिटर्निंग अधिकारी को ऐसे उम्मीदवार का नामांकन पत्र प्राप्त करते समय प्रारूप सी-3 में reminder देते हुये इसकी पावती प्राप्त करनी चाहिए।

32.3 रिटर्निंग अधिकारी अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण संकलित करेगा एवं इसे प्रारूप-सीए में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजें।

33. Protection for persons belonging to weaker section during filling of nominations:

33.1 कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय या कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की उम्मीदवारी वापस लेने के दौरान अनुचित प्रभाव, धमकी, जबरदस्ती, अपहरण या अन्य बाधा उत्पन्न करने से रोकने के लिए निम्नलिखित प्रावधान उपलब्ध हैं:-

(a) Section 171B of the Indian Penal Code-Bribery at elections:

(1) जो कोई-

(i) किसी भी व्यक्ति को किसी भी चुनावी अधिकार का प्रयोग करने के लिए उसे या किसी अन्य व्यक्ति को शामिल करने या किसी भी धमकी, गलत कारावास या बल का उपयोग, धमकी, गलत कारावास या बल का उपयोग करने के लिए किसी भी व्यक्ति को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से संतुष्टि देता है, ऐसा अधिकार ; या

(ii) अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए ऐसे किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने या प्रेरित करने के लिए पुरस्कार के रूप में कोई परितोषण स्वीकार करता है, रिश्वतखोरी का अपराध करता है:

(1) बशर्ते कि सार्वजनिक नीति की घोषणा या सार्वजनिक कार्यवाई का वादा इस धारा के तहत अपराध नहीं होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी परितोषण की पेशकश करता है, या देने के लिए सहमत होता है, या पेशकश करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे परितोषण देने वाला माना जाएगा।

(3) एक व्यक्ति जो परितोषण प्राप्त करता है या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे परितोषण स्वीकार करने वाला समझा जाएगा, और एक व्यक्ति जो परितोषण को उस काम को करने के मकसद के रूप में स्वीकार करता है जिसे वह करने का इरादा नहीं रखता है, या उसके लिए पुरस्कार के रूप में स्वीकार करता है, जो उसने नहीं किया है, उसे करने पर यह माना जाएगा कि उसने पुरस्कार के रूप में परितोषण स्वीकार कर ली है।

२५/११

(b) Section 171C of the Indian Penal Code-Undue influence at elections:

2 (1) जो कोई भी किसी चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में स्वेच्छा से हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, वह चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने का अपराध करता है।

(2) उपधारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो भी:-

(a) किसी भी उम्मीदवार या मतदाता, या किसी भी व्यक्ति, जिसमें उम्मीदवार या मतदाता का हित है, को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, या

(b) किसी उम्मीदवार या मतदाता को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित करता है या प्रेरित करने का प्रयास करता है कि वह या कोई भी व्यक्ति जिसमें वह रुचि रखता है, दैवीय नाराजगी या आध्यात्मिक आनंद का पात्र बन जाएगा या बना दिया जाएगा, उप-धारा (1) के अर्थ के अंतर्गत ऐसे उम्मीदवार या मतदाता का चुनावी अधिकार, के स्वतंत्र अभ्यास में हस्तक्षेप माना जाएगा।

(c) Section 171A of the Indian Penal Code चुनावी अधिकार को परिभाषित करती है, किसी व्यक्ति का चुनाव में खड़े होने, या न खड़े होने, या उम्मीदवार बनने से पीछे हटने, या वोट देने या वोट देने से परहेज करने का अधिकार।

(d) आईपीसी की धारा 171बी और 171सी के तहत 'bribery' और 'undue influence' के अपराध में एक साल तक की कैद या जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 171ई और 171एफ के तहत उक्त दोनों से दंडनीय है।

(e) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(1) और 123(2) के तहत, किसी व्यक्ति के चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप करने के लिए 'रिश्त' और 'अनुचित प्रभाव' भ्रष्ट आचरण हैं, जिसके आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव को शून्य घोषित और दोषी पाए गए व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

33.2 जब भ्रष्ट आचरण के लिए कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र चुनाव याचिका पर उच्च न्यायालय में निहित है, इन मामलों में अपराधियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी भी माध्यम से सूचना मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

33.3 आयोग के निर्देश है कि जैसे ही किसी चुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन के मामले में, या किसी उम्मीदवार को नाम वापस लेने के मामले में रोकथाम, धमकी या बल के प्रयोग, bribery या अनुचित प्रभाव की कोई शिकायत या जानकारी किसी रिटर्निंग ऑफिसर को प्राप्त हो या जिला निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त हो तो, वह आवश्यक पूछताछ करने और अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए मामले की तुरंत पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। रिटर्निंग अधिकारी/जिला चुनाव अधिकारी/मुख्य चुनाव अधिकारी, एक ही समय में, आयोग को प्रत्येक मामले के तथ्यों की रिपोर्ट देंगे और ऐसी प्रत्येक शिकायत की प्रगति पर समय-समय पर रिपोर्ट भेजेंगे जब तक कि अपराधियों पर उचित न्यायालयों द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है अथवा ऐसे समय में जब आयोग संबंधित अधिकारियों को निर्देश देता है कि वे अब प्रगति रिपोर्ट न भेजें।

34. Retention of nomination papers: निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के खंड (c) में यह प्रावधान है कि उक्त नियम के खंड (a), (aa) और (b) में उल्लिखित चुनावी पत्रों के अलावा अन्य चुनाव पत्रों को आयोग द्वारा निर्देशित अवधि तक के संभालकर रखा जाएगा। आयोग का निर्देश

4, ✓

है कि उम्मीदवारों द्वारा दायर नामांकन पत्र और सभी सहायक दस्तावेजों को चुनाव पूरा होने के बाद छह साल तक की अवधि या चुनाव याचिका, यदि कोई हो, या किसी भी अदालत में इनमें से किसी भी दस्तावेज द्वारा की गई कोई भी घोषणा चुनौती के अधीन है अथवा किसी अन्य मुकदमे/याचिका के निपटारे तक बरकरार रखा जाएगा।

35. उपरोक्त निर्देश आपके जिले के समस्त रिटर्निंग अधिकारियों एवं चुनाव सम्बन्धी अन्य सभी प्राधिकारियों तथा आपके जिले में स्थित राजनीतिक दलों और आगामी लोकसभा आम चुनाव, 2024 में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों के ध्यान में लाया जाकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश दिनांक 27.02.2024 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,


(सुरेश चन्द्र)

विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ 3(1)(2)प्रथम/निर्वा/2021/ 1971 जयपुर, दिनांक 6/3/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी(आई.टी), राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. विशेषाधिकारी (प्रशिक्षण), निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. उप विधि परामर्शी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान।
8. समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल, राजस्थान।
9. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राज्यीय दल, राजस्थान।
10. समस्त पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान।



विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 3/ER/2023/SDR/Vol.V

Dated: 27th February, 2024

To,

The Chief Electoral Officers of
All States and Union Territories

Sub: Filing of nominations by candidates at an election to the Legislative Assembly and to the House of the People- reg.

Ref:

(i)	No. 3/ER/94/JS-II	dated 16 th August, 1994
(ii)	No. 576/3/96-JUD-II	dated 20 th September, 1996
(iii)	No. 576/3/2009/SDR	dated 10 th February 2009
(iv)	No. 576/3/2011/SDR	dated 22 th March, 2011
(v)	No. 576/3/2013/SDR	dated 21 st January, 2013
(vi)	No. 576/3/2013/SDR	dated 31 st October, 2013
(vii)	No. 576/3/2013/SDR	dated 30 th September, 2013
(viii)	No. 576/3/2013/SDR/236	dated 13 th November, 2013
(ix)	No. 3/ER/2020/SDR/Vol.III	dated 01 st October, 2020
(x)	No. 576/3/2007/JS-II	dated 8 th August, 2007
(xi)	No.3/ER/2011/SDR	dated 20.7.2012 and 12.10.2012
(xii)	No. 3/ER/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/2016	dated 18.08.2016
(xiii)	No/4/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/Vol I/2016	dated 29.12.2016
(xiv)	No. 576/3/2013/SDR/VOL-I	dated 07.02.2019, and
(xv)	No. 576/3/2013/SDR/VOL-I	dated 31.10.2023

Madam/Sir,

I am directed to state that the election process commences on issue of notification(s) by the President of India in the case of general election to the House of the People (Lok Sabha) and by the Governor of the State in the case of general election to the Legislative Assembly of that State (Vidhan Sabha). In the case of all bye- elections, such notifications are issued by the Election Commission. The election notification by the President or the Governor, as the case may be, is issued on the date(s) recommended by the Election Commission. Simultaneously, the Election Commission by notification in the Official Gazette (issued on the same date) fixes the time-table of the election under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951(hereinafter 'the Act').

2. As per the provisions of Section 32 of the Representation of the People Act, 1951, any person may be nominated as a candidate for election to fill a seat if he is qualified and not disqualified to be chosen to fill that seat under the provisions of the Constitution and

the Act or under the provisions of the Government of Union Territories Act, 1963, as the case may be. The provisions pertaining to qualifications and disqualifications to fill a seat in Parliament and State Legislature are given under the Articles 84, 102, 173 and 191 of the Consitution of India and Sections 3 to 10A of the Act.

3. Keeping in view of the forthcoming general election to the Lok Sabha 2024 and for clarity on the subject, a comprehensive instructions consolidating all relevant legal provisons and instructions issued from time to time as listed above, is being issued for compliance during all future elections.

4. **Issue of Public Notice:**

On the issue of the notification by the Election Commission fixing the schedule of election under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951, a public notice of the intended election is required to be issued by the Returning Officer concerned under Section 31 of the Act. This public notice shall be given in Form 1 appended to the Conduct of Elections Rules, 1961. By this public notice, the Returning Officer invites nominations of candidates for the election in his constituency and specifies, among others, the place at which nomination papers are to be delivered, date, time and place of scrutiny, date of withdrawal and date of hours of poll. The public notice shall be issued in English as well as in the languages used for official purposes in the State. The same are to be published on the notice board of the Returning Officer and at such other places as he considers necessary for giving wide publicity, including the offices of Gram Panchayat, Panchayat Samitis, etc.

5. **Form of nomination papers:**

5.1 Rule 4 of the Conduct of Elections Rules, 1961 prescribes that every nomination paper shall be in such one of the Forms appended to Conduct of Elections Rules, 1961, as may be appropriate. The nomination of a candidate for election to the House of the People shall be made in Form 2A, while relevant Form for filing nomination at an election to the State Legislative Assembly is Form 2B. For an election to the legislative assembly of Sikkim from a constituency reserved for the Sikkimese of Bhutia- Lepcha origin, the nomination is to be made in Form 2F. The relevant nomination Form for an election to the legislative assembly of Sikkim, from a general constituency or a constituency reserved for scheduled caste is Form 2G and for election from Sangha constituency is Form 2H appended to the Conduct of Elections Rules, 1961.

5.2 Copies of the nomination papers can be downloaded from ECI/CEO's website or may be obtained from the office of the Returning Officer at a very nominal price. If the officially printed Forms are not available or cannot be obtained, a candidate may use a downloaded/ privately printed/ type- written/ cyclostyled Form; but he/she must take care to see that the Form used by him/her, exactly corresponds to the appropriate latest Form as appended to the Conduct of Elections Rules, 1961. A candidate must be very particular about every entry in the nomination Form.

6. Prescribed date and time for making nomination:

6.1 As per Section 30 of the Act, the last date for making nominations is the seventh day after the date of publication of the notification or if that date is public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday. Thus eight days (including the day on which the notification is issued) are available for the making nominations. However, nomination cannot be filed on the intervening public holidays.

6.2 As per Section 33 of the Act, nomination papers can be filed at any time between the hours of eleven o'clock in the forenoon and three o'clock in the afternoon. Nomination paper should not be received before eleven o'clock in the forenoon and after three o'clock in the afternoon on any day of making nominations.

6.3 The nomination papers can be filed, starting from the date of the notification till the last date prescribed for making nominations (both dates inclusive), which is not a public holiday (as already explained).

6.4 On the last date for making nominations after 2.30 PM, frequent announcements should be made outside the room of the RO/ARO that the filing of nominations will not be permitted after 3 PM on the last date of making nominations. Slips signed by RO/ARO shall be prepared and distributed to candidates, who enter the room by 3 PM in sequence of their entry into the room.

6.5 If more than one candidate or their proposers turn up in the Returning Officer's office at 3.00 p.m. or just prior to that for presenting their nominations, it will not be possible for the Returning Officer to deal with all such nominations by 3.00 p.m. In such case, the Returning Officer shall receive nominations of all intending candidates who are present in the office of the Returning Officer at 3.00 p.m. for filing nomination and treat these nomination papers to have been delivered within the prescribed time under the law. For this purpose, Returning Officer may close the entry to his office room exactly at 3.00 p.m. and deal with the nomination papers of only such candidates who entered the room by 3:00 PM.



6.6 No one should be allowed to enter Returning Officer's room after 3.00 PM for the purpose of delivering nomination paper or any supporting documents of any intending candidates.

7. Meaning of public holiday:

As defined in Section 2(h) of Act, "public holiday" means any day which is a holiday for the purposes of section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881. Every Sunday, the second and fourth Saturdays of a month are public holidays. No nominations can be filed or received on public holiday.

8. Separate bank account to be opened by each candidate for election expenditure:

8.1 In order to facilitate monitoring of election expenditure, each candidate is required to open a separate bank account exclusively for the purpose of election expenditure. This account shall be opened at least one day before the date on which the candidate files his nomination papers. This Account Number shall be communicated by the candidate, in writing, to the Returning Officer at the time of filing of his nomination. All election expenditure shall be made by the candidate only from this bank account. All money to be spent on electioneering shall be deposited in this bank account irrespective of its funding from any source including candidate's own fund.

8.2 The bank Account can be opened either in the name of the candidate or in the joint name with his election agent for the purpose of election expenditure. The bank account should not be opened in the name of any family members of the candidate or any other person, if he/she is not the election agent of the candidate. The bank account can be opened anywhere in the State in any of the banks including the cooperative banks or post office. The bank account so opened shall be a fresh one. The existing bank account of the candidate should not be used for this purpose.

8.3 The Returning Officer, at the time of filing nomination papers, shall issue a notice to each such candidate who has not opened the bank account.

9. Candidate's name in the nomination paper:

In normal course, candidate's name mentioned in the nomination paper would be as it is entered in the electoral roll. However, if he/she considers that his/her name is incorrectly spelt or is otherwise incorrectly shown in the electoral roll, he/she should give his/her correct name in the nomination paper. The Returning Officer will overlook such mistake in the electoral roll. In such a case it would be advisable for candidate to submit also an application to the Returning Officer stating the above fact about the mistake of his/her name in the electoral roll along with his/her nomination paper.

10. Proposers for nomination:

10.1 The proposer(s) must be an elector for the constituency from which the candidate is seeking election. Under Section 33 of the Representation of the People Act, 1951, the nomination of a candidate at election to the House of the People or a State Legislative Assembly shall be required to be subscribed by:

10.1.1 One elector of the constituency, as proposer, if the candidate has been set up either by a recognized National party or by a recognized State party in the State or States in which it is recognized as State party.

10.1.2 Ten (10) electors of the constituency, as proposers, if the candidate has been set up by a registered un-recognized political party or if he is an independent candidate.

10.2 If a State Party recognized in one State sets up candidates at an election in another State in which it is not recognized as State Party, the nomination of candidate(s) set up by that party in such other State is required to be subscribed by ten (10) electors of the constituency, as proposers.

11. Number of nomination papers:

11.1 Section 33 (6) of the Act, specifies that any candidate can be nominated by more than one nomination papers, provided that not more than four nomination papers shall be presented by or on behalf of any candidate or accepted by the Returning Officer for election in the same constituency. The Returning Officer or Specified Assistant Returning Officer must, therefore, ensure that the same candidate does not file more than 4 sets of nomination papers.

11.2 No candidate can be nominated from more than two Parliamentary/ Assembly constituencies at a General Election to the House of the People or a State Legislative Assembly. The same embargo applies in relation to bye-elections to any House held simultaneously, and not more than two bye-elections can be contested to the same House if called upon simultaneously by the Election Commission.

11.3 If a candidate violates this provision and files nomination papers for election from more than two constituencies of the same class, his nomination papers in the third, fourth and all such subsequent constituencies going by the date and time of filing should be rejected by the Returning Officers concerned for non-compliance with the provisions of Section 33(7) of the RP Act 1951. However, the Returning Officers must be fully satisfied about the fact of the candidate having violated the law on this point before rejecting any of his nomination papers on this ground.

12. Presentation of nomination papers:

12.1 The presentation of the nomination paper and requirements for a valid nomination is governed by Section 33 of the Act. It, inter-alia, provides that the nomination paper shall be presented, in person either by a candidate or by his/her proposers and by no one else.

12.2 The nomination papers shall be delivered to the Returning Officer of the constituency or to such Assistant Returning Officer who has been nominated in Form 1 by the Returning Officer in public notice.

12.3 The nomination paper shall be delivered at the place specified in aforesaid Form 1 and at no other place. Candidate or his/her proposer cannot send the nomination paper by post. The nomination paper cannot be delivered at the residence of the officer specified or outside the place mentioned in the notice in Form 1. If it is delivered at any other place, it will be rejected.

13. Security Deposit by the candidate:

13.1 As per Section 34 of the Act, a candidate shall not be deemed to be duly nominated for election from a constituency unless he deposits or causes to be deposited an amount of Rs. 25,000 in the case of an election from a Parliamentary Constituency or an amount of Rs. 10,000 in the case of an election from a Assembly Constituency.

13.2 It further provides that the candidate who is a member of a scheduled caste or scheduled tribe shall deposit half of the amount in the respective elections irrespective of whether he is contesting election from a general constituency or reserved constituency.

13.3 Section 33(2) provides that in a constituency where any seat is reserved, a candidate shall not be deemed to be qualified to be chosen to fill that seat unless his nomination paper contains a declaration by him specifying the particular caste or tribe of which he is a member and the area in relation to which that caste or tribe is a scheduled caste or, as the case may be a scheduled tribe of the state.

13.4 For the purpose of getting concession in security deposit, it is not obligatory for such a candidate contesting an election from a general constituency to fill up the declaration in the nomination paper that he is member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe. However, the candidate to be eligible to deposit the concessional amount must satisfy Returning Officer that he is a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe through a certificate issued by an authority duly authorized by the State Government for the purpose.



13.5 Where a candidate has been nominated by more than one nomination papers for election in the same constituency not more than one deposit shall be required. However, if a candidate is contesting from more than one constituency, or two different constituencies, he shall deposit or cause to be deposited separate deposits in each such constituencies. It is already clarified that no candidate can be nominated from more than two Parliamentary/Assembly constituencies. Security deposit cannot be made by a cheque.

13.6 The amount of security deposit by the candidate shall be made on or before filing of his/her nomination papers.

13.7 The security deposit can be deposited either in cash with the Returning Officer or by filing a challan in the Reserve Bank of India or a Government Treasury. Where the deposit has been made in the Reserve Bank or in a government treasury, a receipt issued by the bank or the treasury in this behalf must be enclosed with the nomination paper. The candidate may also submit security deposit by online mode while filling nomination Form online through ECI's suvidha portal <https://suvidha.eci.gov.in>.

13.8 Arrangements for receiving security deposit at the time of filing nomination should be made in the same room in which nominations are being received.

13.9 The deposit should be made under the following Head of Account for Election to Parliament: - 8443-CIVIL DEPOSITS-121-DEPOSITS IN CONNECTION WITH ELECTIONS-2-DEPOSITS MADE BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT.

13.10 The deposit for Election to State/Union Territory Legislatures: - 8443-CIVIL DEPOSITS-121-DEPOSITS IN CONNECTION WITH ELECTIONS-1-DEPOSITS MADE BY CANDIDATES FOR STATE/UNION TERRITORIES LEGISLATURES.

14. Serial number of nomination papers:

14.1 Each nomination paper as soon as it is presented must be serially numbered without fail by Returning Officer or by the Specified Assistant Returning Officer receiving it. RO or specified ARO must also note on the body of the nomination paper the date and exact time at which it was received and should put his/her signature thereon. The nominations received by Returning Officer shall be serially numbered as (Number)/ LA or HP/(Year)/ RO and those received by the Specified Assistant Returning Officers as (number)/LA or HP/(year)/ARO, if the Assistant Returning Officer is receiving nomination papers in a different place. Returning Officer or the Specified Assistant Returning Officer shall not make any entries on the nomination papers other than dated initials and serial number as above. In view of the limitation on the number of nomination papers that can be

delivered by a candidate, Returning Officer should ask the Specified Assistant Returning Officer (who has been authorized by Returning Officer to receive nomination papers) to work in close coordination with him if he is receiving nomination papers in a different place.

14.2 In case more than one nomination papers have been filed by or on behalf of a candidate, the Returning Officer should keep all relevant documents including nomination papers filed by him in one file/ folder for his convenience at the time of scrutiny of nomination papers.

14.3 When a number of nomination papers are delivered to Returning Officer he/she must assign serial numbers to them in the order in which he dealt with them one after the other.

15. Preliminary examination of nomination papers:

15.1 On presentation of a nomination paper, the Returning Officer shall satisfy himself that the names and electoral roll numbers of the candidate and his proposer(s) as entered in the nomination paper are the same as those entered in the electoral rolls. Thus, the preliminary examination of nomination paper, as required by law under Section 33 (4) of the Act, is from the technical standpoint. Therefore, the Returning Officer is not required to hold any formal scrutiny of any nomination papers at this stage.

15.2 If the candidate is an elector in a constituency other than the constituency where he is filing nomination paper, the Returning Officer or the Specified Assistant Returning Officer should compare the entries in the nomination paper with the entry relating to the candidate's name in the electoral roll of that constituency or the relevant part thereof or certified copy of such entry submitted by him. In such case the copy of the electoral roll or the relevant part thereof or a certified copy of the relevant entries in such roll shall, unless it has been filed along with the nomination paper, be produced before the Returning Officer at the time of scrutiny.

15.3 The Returning Officer or the Specified Assistant Returning Officer while receiving nomination paper shall also check whether the related documents have been properly filed by the candidate.

15.4 The Commission has issued a separate and detailed instructions on filing of affidavit by the candidate. The Returning Officer shall go through the same.

15.5 Oath by the candidate has to be taken after filing nomination paper and before the date fixed for scrutiny begins.

15.6 Certified extract of electoral roll can be filed up to the time of scrutiny.

15.7 When a candidate files nomination paper, the Returning Officer or the Specified Assistant Returning Officer shall indicate in the second column of the check list whether the documents concerned have been filed or the other/requirements fulfilled. If there is any defect or short coming in the documents, the same should be specified.

15.8 While deciding the case in Civil Appeal No.4956 of 2010 – Ramesh Rout Vs. Ravindra Nath Rout [2012 (1) SCJ 567]), the Supreme Court observed that once the Returning Officer records in the CHECK LIST prepared by him at the time of presentation of the nomination paper that a particular document/requirement has been filed/fulfilled, he cannot later take the stand that the document was not in order. The Commission has directed that while checking the documents filed with nomination paper and filling up the Check List, the Returning Officer or the Specified Assistant Returning Officer should also make an endorsement about defect, if any, noticed in the documents filed with the nomination papers. In cases where a candidate set up by a political party has either not filed Form “A” and Form “B”, or the Forms filed are not as per the requirements (i.e. not properly filled up or are not signed in original, etc.), the Returning Officer should point out this shortcoming in the checklist and also while preparing Form 3A (Notice of Nomination) he should mention to this effect under Column 6 with respect to such candidate(s).

15.9 The check list shall be prepared in two copies. Both the copies of the check list shall be signed by the Returning Officer or the Specified Assistant Returning Officer as well as by the candidate/proposer who has filed the nomination paper. The duplicate copy of the check list shall be handed over to the candidate/proposer who files nomination paper, while retaining the original with the nomination paper filed by the candidate. The RO should maintain proper records of the documents filed and checklist prepared.

15.10 The copy of the check list handed over as above, will serve the dual purpose of acknowledging the receipt of the documents submitted as well as of notices for submitting the relevant documents. Therefore, no separate notice is required to be given to the candidates in respect of the items mentioned in this check list. However, acknowledgements of nomination paper will continue to be given as per the Format in the last part of the prescribed nomination paper.

15.11 If and when a document is filed subsequent to filing of nomination, an acknowledgement to that effect should be issued to the candidates, clearly mentioning the date and time at which the document is required to be filed. This should also be indicated in the appropriate place in the original check list retained by the Returning Officer.

16. Photograph of the candidate:

16.1 At every election, the candidate is required to submit his/her photograph along with his/ her nomination paper(s) and, in any case, latest by the date fixed for scrutiny of nominations. The photograph should bear the signature of the candidate/ election agent on the reverse side of the photograph. The specifications for the photograph are as follows:

16.1.1 The photograph should have been taken during the preceding period of 3 months before the date of notification.

16.1.2 Photograph should be of stamp size 2 cm X 2.5 cm. (2 cm in breadth and 2.5 cm in height) in white/off white background, with full face view directly facing the camera, neutral facial expression with eyes open.

16.1.3 The photo may be in colour or black and white as may be convenient for the candidate.

16.1.4 Photograph should be in normal clothing. Photograph in uniform is not permitted. Caps/ hats should be avoided.

16.1.5 Dark glasses should also be avoided.

16.2 The candidate / election agent / proposer submitting the photograph shall be asked to give a declaration stating that the photograph being submitted is that of the candidate (mentioning the name and address) taken during the period of preceding 3 months.

16.3 The photographs being submitted should be identical to the photograph affixed on the nomination Form. If a candidate does not submit additional copy of photograph for printing on the ballot paper, the photograph already affixed on the nomination paper shall be used for printing on the ballot paper. It may be noted that non-submission of photograph by the candidate shall NOT be a ground for rejection of the nomination paper of the candidate.

16.4 All the nomination papers and the accompanying documents received should be kept in the personal custody of the Returning Officer or the specified ARO and no other person should have access to them.

17. Discrepancies and errors in electoral rolls:

17.1 Proviso to Section 33(4) of the Act provides that no misnomer or inaccurate description or clerical, technical or printing error in regard to the name of the candidate or

his proposers or any other person or in regard to any place mentioned in the electoral roll or the nomination paper and no clerical, technical or printing error in regard to the electoral roll numbers of any such person in the electoral roll or the nomination paper shall affect the full operation of the electoral roll or the nomination paper with respect to such person or place in any case where the description in regard to the name of the person or place is such as is commonly understood. Returning Officer shall permit any such misnomer or inaccurate description or clerical, technical or printing error to be corrected and where necessary direct that any such misnomer, inaccurate description, clerical, technical or printing error in the electoral roll or in the nomination papers shall be overlooked. Returning Officer has no power in law to allow any other error to be corrected.

17.2 Similarly, if there is a complaint regarding mismatch of photograph affixed in the nomination paper and in the photo electoral roll, Returning Officer shall overlook the same after satisfying himself/herself about the identity of the person through some other document produced by him.

17.3 Points, which Returning Officer is thus required to dispose of under Section 33(4) of the said Act, should invariably be disposed of at this stage. It will be undesirable for the Returning Officer at the time of scrutiny to reject a nomination paper for defects, which could have been thus cured at the earlier stage of the presentation of the nomination paper.

18. Signatures of candidates and proposers in nomination papers:

18.1 Every nomination paper shall be signed by the candidate and required number of proposer(s). The candidate or his proposer, however, is not required to write his name in full by way of signature. He may adopt his usual Form of signature e.g., one or more initial letters followed by the surname, it should be treated as valid signature for the purposes of the Act. It is not obligatory that the signature on the nomination paper should tally exactly with the full name of the person as printed in the electoral roll.

18.2 A proposer can sign more than one nomination papers of the same candidate or of different candidates. Having signed a nomination paper as a proposer, the proposer cannot withdraw from being such proposer later.

18.3 If a candidate or his proposer is unable to write his name to signify his signature, he shall be deemed to have signed the nomination paper, if he has placed a mark or thumb impression on that paper in the presence of the Returning Officer or the Specified Assistant Returning Officer or any administrative officer not below the rank of sub-divisional officer. Such officer on being satisfied as to the identity of that person shall attest the mark / thumb



impression of the candidate or the proposer, as the case may be. The thumb impression shall be marked in the presence of such officer before attesting it.

18.4 In case the signature or the thumb impression, as mentioned above, is not made/marked by the required number of proposer(s), such nomination paper shall not be treated as valid nomination paper as prescribed under section 33 of the Representation of the People Act, 1951. This deficiency is a defect of substantial character and shall be a ground for rejection of nomination paper at the time of scrutiny of nominations.

19. Receipt and notice of scrutiny and allotment of symbols:

The serial number of the nomination paper, name of the candidate, date, time and venue for scrutiny of nominations etc. shall be indicated in the last part of the nomination paper and be handed over to the person presenting the nomination paper. Returning Officer can also issue separate receipt and notice in the same Format for convenience.

20. Oath or affirmation by candidates:

20.1 A candidate at an election to the Parliament, State Legislature or Legislative Assembly in a Union Territory as required under Article 84(a) or Article 173(a) of the Constitution, section 4(a) of the Government of Union Territories Act, 1963, or section 4(a) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, or section 16(a) of the Jammu & Kashmir Reorganization Act, 2019 as the case may be, shall make and subscribe an oath or affirmation in the prescribed Form before some person authorized in that behalf by the Election Commission.

20.2 The Election Commission has authorized, the Returning Officer and the Assistant Returning Officers of the constituency concerned, all stipendiary presidency magistrates, all stipendiary magistrates of the first class, all district judges and all persons belonging to the judicial service of a State other than district judges as the officers, before whom oath or affirmation may be made and subscribed.

20.3 Further, in the case of a candidate who is confined in a prison or under preventive detention, the superintendent of the prison or commandant of the detention camp in which he is so confined or is under such detention is also authorized to administer the oath. And in the case of a candidate confined to bed in a hospital or elsewhere owing to illness or any other cause, the medical superintendent in charge of the hospital or the medical practitioner attending on him is similarly authorized. In the case of a candidate, who is out of India, the oath or affirmation may be made and subscribed before the diplomatic or consular representative of India in the country where the candidate happens to be, or any person authorized by such diplomatic or consular representative. Where the

candidate is for any other reason is unable to appear or is prevented from appearing before the Returning Officer concerned or the Assistant Returning Officer, the oath or affirmation may be made and subscribed before any other person nominated by the Election Commission on an application made to it in this behalf.

20.4 Section 36(2) of the Act provides that the candidate should be qualified and not disqualified on the date of scrutiny. The oath or affirmation should be made before the date fixed for scrutiny of nominations begins. The Supreme Court in *Pasupati Nath Singh versus Harihar Prasad Singh* (A.I.R. 1968- SC-1064) and *Khader Khan Hussain Khan and others vs. Nijalingappa* (1970-1 SCA-548) have clarified the position and removed all doubts in regard to the actual making and subscribing the oath or solemn affirmation. According to these decisions, the oath or solemn affirmation can be made and subscribed by a candidate only after his nomination paper has been delivered and cannot be so made and subscribed on the date of scrutiny. Returning Officer should, therefore, advise the candidate to make the oath or affirmation immediately after presenting his/her nomination paper and in any case not later than the day previous to the date of the scrutiny. As such oath taken at any time on the day previous to the date notified for scrutiny of nomination paper should be treated within time.

20.5 It is not necessary that the oath or affirmation should be made more than once if a candidate is nominated from more than one constituency at a general election and has taken oath for one constituency of the same house. All that is required under Articles 84(a) and 173(a) is that the person concerned should make and subscribe an oath or affirmation according to the Form set out for the purpose in the Third Schedule to the Constitution. The candidates should show to the Returning Officer that oath has been validly made in respect of the nomination filed in the other constituency. It would also be open to the candidate to make another oath in respect of the second constituency also.

20.6 The onus of proving that a candidate had made or subscribed the oath or affirmation before some other authorized person rests on the candidate himself. It is sufficient if the candidate or his representative produces before Returning Officer the certificate issued to the candidate by the authorized person that he has made and subscribed the oath or affirmation before him. The date and time of making oath should be mentioned in the certificate.

21. Manner of making and subscribing oath or affirmation:

21.1 The oath or affirmation has to be first made and then signed by the candidate before the authorized person. It should be borne in mind that mere signing on the

paper on which the Form of oath is written is not sufficient. The candidate must make the oath before the authorized person. The latter should ask the candidate to read aloud the oath and then to sign and give the date on the paper on which it is written. If the candidate is illiterate or unable to read the Form the authorized person should read out the oath and ask the candidate to repeat the same and thereafter take his thumb impression on the Form. In all cases, the authorized person should endorse on the Form that the oath of affirmation has been made and subscribed by the candidate on that day and hour.

21.2. The authorized person will forthwith give a certificate to the candidate that he has made and subscribed the oath before him on that day at a particular hour. The certificate should be given to the candidate without his applying for it. This will avoid all controversy later on as to whether the candidate had taken the oath or not.

21.3. If the authorized person is the Superintendent of the Prison or Commandant of the Detention Camp he should issue forthwith to the candidate a certified copy of the oath for producing it, as evidence, before the Returning Officer at the time of scrutiny of nominations. The superintendent of the prison or commandant of the detention camp will simultaneously send a written communication by the most expeditious means of transmission to Returning Officer indicating the date and time at which the particular candidate made and subscribed the oath or affirmation. He will also send the Returning Officer the original copy of the oath or affirmation made and signed by the candidate.

21.4 If the authorized person is a medical superintendent of a hospital or medical practitioner or a diplomatic or consular representative of India in the country where the candidate happens to be or the district judge or person belonging to the judicial service of a State or stipendiary presidency magistrate or stipendiary magistrate of the first class or any other person nominated by the Election Commission, he should as soon as the candidate has made and subscribed the oath or affirmation, certify this fact on the Form, keep a copy for his record and hand over the original to the candidate. It will be the responsibility of the candidate to see that the original oath or affirmation is produced before the Returning Officer at or before the time fixed for the scrutiny of nomination papers.

21.5 The Returning Officer and the specified Assistant Returning Officer should get these Forms of oath printed, cyclostyled or typed in the official language of that State and in English and keep them ready at hand. If any person intending to contest an election asks for a copy of the Form it should be supplied to him. When a candidate who is confined to bed owing to illness takes his oath before a medical officer of a hospital or before a

medical practitioner it will be his responsibility to obtain two copies of the oath Form to enable the medical officer or the medical practitioner to administer the oath.

22. Nomination by overseas electors:

An overseas elector who is registered in the electoral roll under section 20A of the Representation of the People Act, 1950 would be included in the part of the roll pertaining to the locality in which his place of residence in India as mentioned in his passport is located. Enrolment in the electoral roll also confers on an overseas elector the right to contest elections, subject to the fulfillment of the other requirements of the law. One of the essential qualifications prescribed under the law is that candidate should make and subscribe an oath or affirmation in the prescribed Form, before a person authorized by the Commission in this behalf. In the case of a candidate who is an overseas elector and who is outside India, the oath can be made before the diplomatic or consular representative of India in the country where the candidate happens to be. An overseas elector may approach the authorized person in the Indian mission of the country concerned for making the oath of affirmation. In case an overseas elector is in India at the time of filing nomination, he may make the oath or affirmation before the Returning Officer or the Assistant Returning Officer. If a candidate who is an overseas elector appears before the Returning Officer or the Assistant Returning Officer to make the oath, the Returning Officer or the Assistant Returning Officer concerned shall ensure that the identity of the person is properly verified by carefully going through the particulars in the passport of that person. Such person will necessarily have to produce his/her original passport for verification by the Returning Officer or the specified Assistant Returning Officer at the time of making the oath or affirmation.

23. Nomination by dismissed govt servant:

23.1 As per Section 9 of the Act, a person who having held an office under the Government of India or under the Government of any State has been dismissed for corruption or for disloyalty to the State shall be disqualified for a period of five years from the date of such dismissal.

23.2 Further Section 33 (3) of the Act provides that such person during the period of 5 years from the date of dismissal shall not be deemed to be duly nominated as a candidate unless his nomination paper is accompanied by a certificate issued in prescribed manner by the Election Commission to the effect that he has not been dismissed for corruption and disloyalty to the State.

23.3 A certificate issued by the Election Commission to the effect that a person having held office under the Government of India or under the Government of a State, has or has not been dismissed for corruption or for disloyalty to the State shall be conclusive proof of that fact.

24. Online filling up of nomination papers:

24.1 The Commission has extended an optional facility to the candidates for online data entry of personal details in nomination Form. This facility will be available for the candidates through the Election Commission's Suvidha portal <https://suvidha.eci.gov.in>.

24.2 The candidate will have to do the registration and login with the mobile number and OTP. At present, the facility is available in two languages namely, English and Hindi. Validation checks at each step of the process will help the candidates to fill the Form in proper Format and without errors. The facility for online payment of security deposit by the candidates is also available through the same suvidha portal.

(a) The following are the steps:-

- Step 1 - The Candidate will have to do the registration and login with the mobile number and OTP. After a successful login, the candidate needs to enter the EPIC number and the relevant details will be auto-fetched from the electoral roll.
- Step 2 - The candidate then needs to make data entry of his personal details in the nomination Form. In case of error or mistake entries, filled in the Form, can be edited/corrected, till the finalization by the candidate.
- Step 3 - After complete details verification, the candidate has to finalize the Form and proceed further for selection of 3 preferable dates from the dates given, by ticking at the same, for physical submission of the Form before the Returning Officer.
- Step 4 - the candidate can submit the security deposit online by choosing the available options from net banking. Optionally, the candidate can choose to enter the details of challan or indicate the option to deposit it by cash.
- Step 5 - It is to be noted that the Form in which the online data entry was made by candidate, will only be treated duly submitted if a printout with QR Code is taken from the system, signed in ink both by the candidate and proposer(s), and delivered by hand, either by the candidate himself or by his proposer between the hours of 11.00 in the forenoon and 3.00 in the afternoon to the Returning Officer or Specified ARO for this purpose, on the appointed date and place, specified by him. The online

Nomination Facility will be closed one day prior to the last date of making nominations.

(b) Provision of IT infrastructure and manpower-

- (i) Returning officers should set-up a workstation for physical verification of online data entry of personal details made by candidate in nomination from the date of notification till the last day of nomination.
- (ii) Returning Officer should ensure the availability of one or more computers along with printer, scanner, webcam, stationary and other essentials as per requirement at the workstation. The computer/laptop should be with webcam and minimum i3 processor, 2 GB RAM, and at least 50 GB of free space available. If the webcam is inbuilt in the laptop/desktop then it should be at least 2 mega pixels while in case of a separate webcam, the same should be of at least 5 mega pixel.
- (iii) Operating system and Browser should be updated with updated antivirus JavaScript support.
- (iv) The system and hardware shall be checked by Returning Officer, well in advance, by scanning a sample QR code and also the quality of scanning and printing.
- (v) Returning Officer should identify the staff and arrange training of the identified staff for the purpose of scanning, printing etc, well in time, scanning of QR Code, verification of physical and electronic copy filled up by the candidate, generating and taking print out of the receipt from the system.

(c) Processing and verifying Nomination Forms in which data entry made by candidate online-

- (i) The Returning Officer will login and complete the process of nomination Form, in which online data entry was made and received through the ENCORE portal <https://encore.eci.gov.in>.
- (ii) The Returning Officer can view all the preferences indicated by the candidates for dates for delivering print out of nomination Form in which online data entry was made and give appointments accordingly.
- (iii) The nomination Forms, which have been filled using the suvidha portal are required to be downloaded, printed and completed in all respects and then hard copy delivered physically by the candidate or his proposer, to the Returning Officer.

Before verifying each such nomination Form, the Returning Officer shall check the QR Code at the top of the first page. The scanning of QR Code shall be done at the first instance by the Returning Officer, which will mark the time of receipt of the application. (if in any case, the QR Code is not readable through the webcam, the Returning Officer has the option to enter the system generated nomination id printed on the Form and proceed for verification.)

- (iv) After scanning, the details of the physically handed over Form shall be checked and verified from the online submitted Form.
- (v) In case of a difference between a Form in which online data entry made and physically submitted Form, the nomination Form should be treated as submitted offline Form and procedure for processing of physically submitted Form be followed. In such a case, the online nomination Form should be discarded.
- (vi) Returning Officers shall verify the details of online payment of security deposit. In case the amount has not been credited to the treasury/ bank account of the designated institution/bank, the same will be recorded in the nomination Form and this be informed to the candidate through check list. In such case, the manual method of security deposit, as prescribed by the Election Commission of India, shall be followed.
- (vii) After the verification of nomination Form as per the above procedure, the Returning Officer shall fill part (IV) in the system and proceed for receipt generation.
- (viii) Returning Officer should verify the details in the receipt generated and signed copy be handed over to the candidate as per the rules.
- (ix) Returning Officer shall prepare the checklist and the same will be handed over to the candidate against a proper receipt.

25. Notice of nominations:

25.1 As per Section 35 of the Act, the Returning Officer shall on receiving the nomination paper inform the person delivering the same of the date, time and place fixed for scrutiny of nominations and shall enter on the nomination paper its serial number. He shall sign thereon a certificate stating the date on which and the hour at which the nomination has been delivered to him, and shall as soon as may be thereafter, caused to be affixed in some conspicuous place in his office a notice of nomination paper containing descriptions similar to those contained in the nomination paper, both of the candidate and of the proposer(s) in Form 3A for the election for the House of the People or the

Legislative Assembly. The Form 3A shall be published after 3 p.m. on each day between the date of notification and the last date for making nominations, both days inclusive on his notice board.

25.2 The Specified Assistant Returning Officer should also do the same in respect of the nomination papers presented before him at the end of each day if he is receiving nomination papers at a different place i.e. if the office of the specified ARO is outside the headquarters of the RO but within the Assembly constituency. If more nomination papers than one have been presented before Returning Officer in respect of the same candidate, notice must be given of all of them. A copy of this daily notice should be forwarded to Returning Officer by the Specified Assistant Returning Officer from day to day so that Returning Officer may be aware of the latest position in the constituency as a whole.

26. In cases where the offices of both the RO and ARO are located outside the boundary of the constituency, then one set of nomination should be displayed on the notice board of the RO and another set should be displayed in some public premises within the constituency limits accessible to the general public. If anyone furnishes any information contradicting the statements in the nomination Form by means of a duly sworn affidavit, copies of such papers should also be displayed on the notice board.

27. **Transmission of nomination papers by specified Assistant Returning Officer:**

The Returning Officer shall instruct the Specified Assistant Returning Officer to forward to him, for further necessary action, all the nomination papers received by him as also all other papers connected therewith, immediately after the last day for making nominations or if convenient, in batches from day to day basis. In any case, all such papers should reach Returning Officer latest by 7 p.m. of the last day for making nominations.

28. **Submission of Form A and Form B:**

28.1 The political party of the candidate shall submit, along with the nomination paper latest by 3 p.m. on the last date of making nominations, Form A and Form B duly signed in ink by the authorized person, before the Returning Officer. The conditions to become a candidate of the political party

28.1.1 The candidate should declare in the relevant column in the nomination paper that he is a candidate set up by the party.

28.1.2 The political party concerned should submit Form A and Form B nominating the candidate concerned as its candidate. Accordingly, Returning Officer shall accept only those intimations from the political parties, in Forms A and B latest by 3.00 p.m. on the last date for making

nominations. Any intimation received by Returning Officer thereafter shall not be taken into consideration for any purpose. In such cases the time of receipt of the Form shall be recorded by Returning Officer on the Form. If the Form is delivered by the candidate or any other person, his/her signature should also be obtained under such entries made by Returning Officer. Form A and B should bear original signature of authorized office bearer(s) of the political party concerned. Email, Fax copies etc. of such Forms are not acceptable. Form B submitted for the main candidate can be used for the substitute candidate.

28.2 It is the responsibility of the party or candidates concerned to submit Form-A to CEO and Forms A and Form B to the Returning Officer(s). It is not the responsibility of the CEO to forward Form-A to Returning Officers. Unless and until both the two Form A and Form B are submitted to the Returning Officer as per the requirements of symbol order, the candidates concerned shall not be treated as candidates set up by the political party.

29. Preparation of consolidated list of nominated candidates:

29.1 Immediately after 3.00 p.m. on the last date for filing nominations, or as soon as possible after Returning Officer has received all the nomination papers from the Specified Assistant Returning Officer, he should prepare a consolidated list of all the nomination papers, presented either before him or before the Specified Assistant Returning Officer.

29.2 Even if more than one candidate has claimed to be set up by the same party, the names of all such candidates should be included in the relevant category, i.e., category (i) or (ii), as may be relevant. However, suitable remarks should be given in respect of each such candidate in columns 6 and 7 of the above list, taking into consideration the intimation received, if any, from the party concerned in the prescribed Forms A and Form B by 3.00 p.m. on the last date for making nominations. This will facilitate Returning Officer's task at the time of scrutiny of nomination papers of the concerned candidates.

29.3 Returning Officer should also indicate in the above list, the symbols chosen, in the order of preference, by each candidate. For this purpose, the choice indicated in the nomination paper first delivered in respect of the candidate should be taken into account. However, in the case of a candidate claiming to have been set up by a recognized National or State party, and in whose favour the requisite intimation in Forms A and Form B has been received from the political party concerned within the stipulated date and time, the

symbol reserved for that party should be shown in column 4, provided that the candidate concerned has, in any of his nomination papers duly filed by him, made a declaration that he has been set up by such party and sought allotment of the reserved symbol of that party.

29.4 Send one copy of this list to the Chief Electoral Officer by the fastest means of communication, marked 'Election Immediate'. One copy of the list should also be sent forth with to the Election Commission. Returning Officer should ensure that complete address of each candidate is indicated properly in the list of nominated candidates.

29.5 Clarification has been sought regarding cases where a candidate files nomination as candidate set up by more than one political party and both/all such parties send Forms A and B in his favour. To deal with such situations, it may be noted that in Form 'B', the political party concerned is required to make a declaration that the candidate who is being set up as the party's candidate is a member of that party. One person cannot be member of two different parties at the same time. Therefore, if a candidate claims in his nomination papers to be set up by two or more political parties and both/all such parties have submitted Forms and Form B in his favour, the Returning Officer will, at the time of scrutiny, examine the facts as to which of the political parties the candidate belongs to as its member and whether the candidate has ceased to be a member of the other political party/parties mentioned in his nomination papers, and decide the party affiliation of the candidate accordingly.

29.6 In order to prevent cases of non-SC/ST persons contesting election from reserved constituencies, the Returning Officers at the time of scrutiny of nominations should satisfy themselves that the candidates contesting from reserved constituencies belong to SC or ST, as the case may be. Wherever in doubt, the Returning Officer must insist on production of SC/ST certificate issued by competent authorities. Where, however, the certificate produced by the candidate is also challenged, the Returning Officer need not go into that question, except where it is alleged, that the certificate produced is forged or is not issued by competent authority. In the case of any allegation/suspicion about the genuineness of the certificate, the Returning Officer should get the position cross checked with the authority which purportedly issued the SC/ST certificate in question, before deciding the validity of the nomination paper of the candidate concerned. If on such cross-checking/verification, the Returning Officer is satisfied that the certificate in question is not genuine, he should not only reject the nomination of the candidate concerned, but should also initiate criminal proceeding against the candidate for adducing forged documentary evidence before him.

30. Vehicle & number of persons allowed at the time of filing of nomination papers-

Maximum three vehicles are allowed to come within the periphery of 100 meters of the office of the Returning Officer or the specified Assistant Returning Officer where nominations are being received. Proper barricading shall be done demarcating 100 meters periphery. The officer of the level of Dy. S P or ACP shall be responsible for ensuring proper barricading with sufficient number of security personnel. Total number of persons allowed to enter the chamber of the Returning Officer or the specified Assistant Returning Officer during filing of nomination shall not be more than five including the candidate.

31. Videography:

During the entire process of making nominations a 360 degree CCTV coverage with uninterrupted power supply at the room of the RO/ specified ARO and at the entry and the exit places shall be made. If 360 degree CCTV is not feasible, videography shall be done in the same manner. It shall be ensured that the recording in the CCTV or video camera shall be continuous during the time from 11:00 AM to 03:00 pm daily during the entire process of nomination. Proper time stamping shall be done in the recording apparatus. The CCTV or Videography shall be installed in such a way that it captures entry of the candidate, presentation of nomination papers by him before the RO/ ARO and exit of the candidate and also the clock placed in the room of the RO/ ARO. It shall be ensured that time by the clock inside the room and the time stamping done in the CCTV/ Video camera shall be correct and identical.

32. Publication of criminal antecedents:

In pursuance of the directions of the Supreme Court, in WP (C) No. 784 of 2015 (Lok Prahari vs. Union of India & Others) and in WP (C) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. vs. UoI & Anr.), in contempt petition (C) no. 2192 of 2018 in WP(C) no. 536 of 2011 and in contempt petition (C) No. 656 of 2020 in contempt petition (C) no. 2192 of 2018 in writ petition (civil) no. 536 of 2011, the Commission has issued a separate and detailed instructions for publication of criminal antecedents by the candidates having criminal antecedents and by the political parties who sponsor such candidates. However, for the sake of brevity, it is reiterated that the candidate having criminal antecedents, convicted or contemplated, shall have to publicize his/her criminal antecedents in Format C1 three times starting from the day following the last date of withdrawal and upto the 48 hours ending with the hour fixed for conclusion of the poll, as under:-

- i. Within first 4 days of withdrawal of candidatures.
- ii. Between next 5th - 8th days.
- iii. From 9th day till the last day of campaign (the second day prior to date of poll)

(Illustration: if the last date for withdrawal is 10th of the month and poll is on 24th of the month, the publication of declaration shall be done in the following time period: -

- i. First block for publication shall be done between 11th and 14th of the Month,*
- ii. Second block for publication shall be done between 15th and 18th the Month*
- iii. and the third block for publication shall be done between 19th and 22nd of the Month)*

32.1 The details of criminal antecedents in Format-C1 has to be published in two news papers and in TV/Cable. The minimum font size for publishing in the newspaper is 12 and in the TV/Cable of the standard size. The telecast in TV/Cable should be made during 8 A.M. to 10 P.M. This has to be published also by independent candidates having criminal antecedents and also by those candidates who return uncontested and have criminal antecedents.

32.2 The Returning Officer while receiving nomination papers of such candidate should remind him in Format-C3 and obtain acknowledgment.

33.3 The Returning Officer shall compile brief of candidates having criminal antecedents contesting in his constituency in Format-CA and send it to the Chief Electoral Officer.

33. Protection for persons belonging to weaker section during filing of nominations:

33.1 The following provisions are available to prevent undue influence, threat, intimidation, coercion, abduction or creating obstructions for the candidates belonging to weaker sections while filing nomination papers by them or for securing withdrawal of candidatures of the candidates belonging to weaker section:-

(a) Section 171B of the Indian Penal Code- Bribery at elections:

(1) Whoever-

(i) gives a gratification to any person with the object of including him or any other person to exercise any electoral right or of rewarding any person for having exercised any intimidation, wrongful confinement or use of force, intimidation, wrongful confinement or use of force, such right; or

(ii) Accepts either for himself or for any other person any gratification as a reward for exercising any such right or for inducing or attempting to induce any other person to exercise any such right, commits the offence of bribery:

(1) Provided that a declaration of public policy or a promise of public action shall not be an offence under this section.

(2) A person who offers, or agrees to give, or offers or attempts to procure, a gratification shall be deemed to give a gratification.

(3) A person who obtains or agrees to accept or attempts to obtain a gratification shall be deemed to accept a gratification, and a person who accepts a gratification as a motive for doing what he does not intend to do, or as a reward for doing what he has not done, shall be deemed to have accepted the gratification as a reward.

(b) Section 171C of the Indian Penal Code-Undue influence at elections:-

2 (1) Whoever voluntarily interfere or attempts to interfere with the free exercise of any electoral right commits the offence of undue influence at an election.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of Sub-Section (1), whoever:-

(a) Threatens any candidate or voter, or any person in whom a candidate or voter is interested, with injury of any kind, or

(b) induces or attempts to induce a candidate or voter to believe that he or any person in whom he is interested will become or will be render an object of Divine displeasure or of spiritual pleasure, shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or voter, within the meaning of Sub-Section (1)".

(c) Section 171A of the Indian Penal Code defines Electoral Right to mean the right of a person to stand, or not to stand as, or to withdraw from being a candidate, or to vote or to refrain from voting at an election.

(d) The offences of 'bribery' and 'undue influence' under Sections 171B and 171C are punishable with imprisonment upto one year or with fine or with both under Sections 171E and 171F of the IPC.

(e) Under Sections 123(1) and 123(2) of the Representation of the People Act, 1951, 'bribery' and 'undue influence' to interfere with the free exercise of electoral right of a person are corrupt practices which are grounds for declaring the election as void by the High Court and for disqualifying the persons found guilty.

- 33.2 While the jurisdiction to take action for a corrupt practice is vested with the High Court on an election petition, penal action can be initiated against the offenders in these cases under the relevant provisions of the Indian Penal Code by the Police authorities when the matter is reported to them by any one.
- 33.3 The Commission desired that as soon as any complaint or information of prevention, intimidation or use of force, bribery or undue influence, in the matter of nomination of candidates, or securing withdrawal of a candidate at any election is received by any Returning Officer or District Election Officer or Chief Electoral Officer, he shall report the matter forthwith to the Police Authorities for making necessary enquiries and to prosecute the offenders. The Returning Officers/ District Election Officer/ Chief Electoral Officer, shall at the same time, report the facts of each case to the Commission and send report on the progress on each such complaint periodically till such time the offenders are dealt with by the appropriate Courts at such time as the Commission directs the officers concerned not to send the progress reports anymore.
- 34. Retention of nomination papers:** Clause (c) of the Conduct of Elections Rules, 1961 provides that the election papers, other than those mentioned in clause (a), (aa) and (b) of the said Rule, shall be retained for such period as the Commission may direct. The Commission directs that the nomination papers and all the supporting documents filed by the candidates shall be retained for a period of six years after completion of elections or till the disposal of election petition, if any, or any other suit/petition in any court in which any of the declarations made by any of these documents is under challenge.
35. The above instructions shall be brought to the notice of all the District Election Officers, Returning Officers, other election related officials and the political parties and the candidates based on your state.

Yours faithfully,



(S. B. JOSHI)
Principal Secretary

